रजिस्ट्री सं० डी० एल-33001/97 REGISTERED NO. D. L.—33001/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 8, 1997/कार्तिक 17, 1919
No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 8, 1997/KARTIKA 17, 1919

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

गृह मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1997

सा.का.नि० 369.—भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 14 फरवरी को प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं 133 तारीख 8 मार्च, 1997 में उप नियम 1(1) में, "1996" अंकों के स्थान पर "1997" अंक पढ़ें ।

[फा० सं० 17/64/94-पर्स/बी एस एफ]
जे. बी. कौशिश, डैस्क अधिकारी (का. 3)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd October, 1997

G.S.R. 369.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. G.S.R. 133 dated the 14th February, 1997, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 8th March, 1997, at pages 1310-1315, in sub-rule 1(1), for "1996" read "1997".

[F. No. 17/64/94-Pers/BSF]
J. B. KAUSHISH, Desk Officer, (Pers. III)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1997

सा० का० नि० 370.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3 उपखंड (1) तारीख 28 मई, 1994 के पृष्ठ 800 से पृष्ठ 802 पर भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 242 तारीख 10 मई, 1994 के अधीन प्रकाशित संघ लोक सेवा आयोग, सहायक निदेशक (गोपनीय) भर्ती (संशोधन) नियम, 1993 में.—

1. पृष्ठ 800 पर,

(क) नियम 1 के उप नियम (1) पर, पंक्ति 3 में "1993" के स्थान पर "1994" पढ़ें ।

(ख)

2. पृष्ठ 801 पर, अनुसूची के स्तंभ 12 में प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां

जिनमें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जायेगा "शीर्षक के अधीन—

(क) खण्ड (ख) में उपखंड (i) और उपखंड (ii) के बीच आने वाले "या" शब्द का लोप करें।

(ख) पंक्ति 31 में "चार वर्ष" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष" शब्द पढ़ें।

[संख्या 39021/5/91-स्था(ख)]

श्रीमती भवानी त्यागराजन, निदेशक

MINISTRY OF PERSONNEL, P. G. & PENSIONS
(Department of Personnel & Training)

CORRIGENDA

New Delhi, the 22nd October, 1997

G.S.R. 370.—In the Union Public, Service Commission, Assistant Director (Confidential) Recruitment (Amendment) Rules, 1993, published in the notification of the Government of India in the Ministry of Personnel, P. G. & Pensions No. G.S.R. 242 dated the 10th May, 1994, at pages 802 and 803 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 28th May. 1994 :—

1. At page 802,

(a) in sub-rule (1) of rule 1, in line 3, for "1993" read "1994".

(b) in the Schedule, in column 3, under the heading "Classification", in line 5 for the word "Non-Ministerial" read "Ministerial".

2. At page 803, in the Schedule, in column 12, under the heading "In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grade from which promotion/deputation/transfer to be made".—

(a) in clause (b) omit the word "or" appearing between sub-clauses (i) and (ii).

(b) in the 49th line for the words "four years" read "three years".

[No. 39021/5/91-Estt. (B)]

SMT. BHAVANI THYAGARAJAN, Director

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1997

सा० का० नि० 371.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) तारीख 13 जुलाई, 1996 के पृष्ठ 1453 से पृष्ठ 1455 पर भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 287 तारीख 26 जून, 1996 के अधीन प्रकाशित कर्मचारी चयन आयोग (वित्त और बजट अधिकारी) भर्ती नियम, 1996 की :—

अनुसूची में, पृष्ठ 1454 पर "वर्गीकरण" शीर्षक के अधीन स्तंभ 3 में, "राजपत्रित" शब्द के पश्चात् पंक्ति 3 में "अननुसचिवीय" शब्द जोड़ा जायेगा।

[संख्या 39021/2/95-स्था० (ख)]

श्रीमती भवानी त्यागराजन, निदेशक

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd October, 1997

G.S.R. 371.—In the Staff Selection Commission (Finance and Budget Officer) Recruitment Rules, 1996 published in the Notification of the Government of India in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions No. G.S.R. 287 dated the 26th June, 1996 at pages 1456 and 1457 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 13th July, 1996,—

at page 1456, in the Schedule, in column 3 under the heading "Classification" in line 3 after the word "Gazetted, and "Non-Ministerial".

[No. 39021/2/95-Estt. (B)]

SMT. BHAVANI THYAGARAJAN, Director

ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय
(ग्रामीण विकास विभाग)

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1997

सा० का० नि० 372.—अजवाइन बीज (साबुत और पूर्ण) श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1955 का प्रारूप कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937, (1937 का 1) की धारा 3 की अपेक्षानुसार भारत सरकार के ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 369 तारीख 19 अगस्त, 1996 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) के पृष्ठ 1767—1773 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे :

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 11 सितम्बर, 1996 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार कर लिया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अजवाइन बीज (साबुत एवं चूर्ण) श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन नियम, 1978 को उन बातों के सिवाय और अधिक्रान्त करते हुए ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अजवाइन बीज (साबुत और पूर्ण) श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1997 है

(2) ये अजवाइन बीज (ट्राकिस्पर्मम) अम्मी (लिन) साबुत और चूर्ण को लागू होंगे :

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "कृषि विपणन सलाहकार" से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है

(ख) "प्राधिकृत पैकर" से ऐसी व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है, जिसे इन नियमों के

उपबन्धों के अनुसार वस्तु का श्रेणीकरण और चिन्हांकन करने के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र मंजूर किया गया है ।

(ग) "प्राधिकार प्रमाण-पत्र" से साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के अधीन जारी प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

(घ) "अनुसूची" इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ।

3. श्रेणी अभियान:—वीज वस्तु की क्वालिटी उपदर्शित करने के लिए श्रेणी अभियान अनुसूची II के स्तम्भ 1 में वर्णित के अनुसार होंगे ।

4. क्वालिटी की परिभाषा:—ऐसे श्रेणी अभियान द्वारा उपदर्शित क्वालिटी और अजवाइन के साधारण लक्षण अनुसूची II के स्तम्भ 2 से 7 और अनुसूची III के स्तम्भ 2 से 8 में सामने प्रत्येक श्रेणी अभियान के सामने यथा वर्णित प्रकार की होगी ।

5. श्रेणी अभियान चिन्ह:—इसी श्रेणी अभियान चिन्ह में निम्नलिखित होंगे :

(i) वस्तु का नाम, श्रेणी अभियान विनिर्दिष्ट करने वाला लेबल और जिस पर "एगमार्क" शब्द सहित भारत के मानचित्र की बाहरी रेखाओं का डिजाइन होगा और अनुसूची 1—क में उपवर्णित से मिलता-जुलता उगते सूरज का चित्र होगा

(2) "एगमार्क" प्रतिकृति" में एक डिजाइन होगा जिसमें प्राधिकार प्रमाणपत्र की संख्या, एगमार्क शब्द, वस्तु का नाम, श्रेणी अभियान होगा जो अनुसूची 1—ख में उपवर्णित से मिलता-जुलता होगा ;

परन्तु यह कि एगमार्क लेबलों के स्थान पर एगमार्क प्रतिकृति के उपयोग की केवल उस प्राधिकृत पैकर को अनुज्ञा दी जायेगी जिसे कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए अनुज्ञा दी गई है ।

6. चिन्हांकन की पद्धति :

(1) श्रेणी अभियान चिन्ह को प्रत्येक आधान पर सुरक्षित रूप से लगाया जायेगा या स्पष्ट और अमिट रूप से मुद्रित किया जाएगा ।

(2) श्रेणी अभियान चिन्ह के अतिरिक्त प्रत्येक आधान पर निम्नलिखित विशिष्टियां स्पष्ट एवं अमिट रूप से चिन्हित की जायेंगी :

(क) पैकर का नाम और पता

(ख) पैक करने का स्थान

(ग) पैक करने की तारीख, मास और वर्ष में

(घ) लाट/बैच संख्या

(ङ) शुद्ध भार

(च) अवसान तिथि

(छ) कीमत

(3) कोई प्राधिकृत पैकर, कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के पूर्वानुमोदन से साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 11 के अनुसार अपने प्राइवेट व्यापार चिन्ह को या व्यापार ब्रांड को श्रेणीकृत पैकेज पर चिन्हित कर सकेगा, परन्तु यह तब जब कि वह, इन नियमों के अनुसार श्रेणीकृत पैकेज पर अंकित किये गए श्रेणी अभियान चिन्ह द्वारा उपदर्शित क्वालिटी या श्रेणी से भिन्न क्वालिटी या श्रेणी उपदर्शित न करता हो।

7. पैक करने की पद्धति :

(1) श्रेणीकृत वस्तु को स्पष्ट, मजबूत और सूखे आधानों जैसे जूट के थैलों, सूती थैलों, बहुबुने थैलों, कागज के थैलों, पालिथिलीन के पट्टलित पाउचों, गत्ते के बक्सों, टिन, कांच, प्लास्टिक के आधानों, लकड़ी के बक्सों या अन्य सामग्री में या किसी अन्य ऐसी रीति में जैसा कि कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा, साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 11 के अनुसार अनुमोदित किया जाए, परन्तु यह तब जबकि पैकिंग सामग्री खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त खाद्य श्रेणी क्वालिटी की हो ;

(2) साबुत एवं चूर्णीकृत सामग्री को जूट के थैलों, कपड़े के थैलों और गत्ते के बक्सों आदि में पैक करने के लिए कम से कम 100 माइक्रान मोटाई के पालिथिलीन या पालीप्रोपाइलेन का उपयोग किया जायेगा ;

(3) सभी मामलों में, आधान कीटग्रसन, लवण संदूषण, रंग छोड़ने वाली सामग्री, विषैले पदार्थों या किसी अवांछित गंध या दुर्गन्ध से मुक्त होगा ;

(4) प्रत्येक आधान को सुरक्षित रूप से बंद और सील किया जायेगा।

8. प्राधिकार प्रमाणपत्र मंजूर करने के लिये विशेष शर्तें: साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 3 के उपनियम (8) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त इन नियमों के अधीन अजवाइन (साबुत और चूर्ण) के श्रेणीकरण और चिन्हांकन के लिए प्राधिकार प्रमाणपत्र देने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें, होंगी, अर्थात्:—

(1) प्राधिकृत पैकर, श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 9 के अनुसार अजवाइन (साबुत और चूर्ण) की क्वालिटी जांच करने के लिए कृषि विपणन सलाहकार या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकार द्वारा अनुमोदित अर्हित रसायनज्ञ द्वारा संचालित अपनी प्रयोगशाला स्थापित करेगा या वह राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला या

इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित प्राइवेट वाणिज्यिक प्रयोगशाला में पहुंच रखेगा :

(2) प्रसंस्करण श्रेणीकरण और पैकिंग के लिये परिसर का रखरखाव पूर्ण स्वास्थ्यकर और स्वच्छ दशाओं में किया जायेगा

(3) इन संक्रियाओं में लगे कार्मिक स्वस्थ और किसी भी प्रकार के संक्रामक रोग से मुक्त होंगे ।

(3) इन संक्रियाओं में लगे कार्मिक स्वस्थ और किसी भी प्रकार के संक्रामक रोग से मुक्त होंगे ।

अनुसूची 1–क

[(नियम 5(i) देखें)]

एगमार्क लेबल का डिजाइन

अनुसूची 1–ख

(नियम 5(ii) देखें)

एगमार्क प्रतिकृति का डिजाइन

अनुसूची—III

[नियम 3 और 4 देखें]

अजवाइन (सावुत) के बीजों की क्वालिटी का श्रेणी अभिधान और गुणवत्ता की परिभाषाएं

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा विशेष अपेक्षाएं				
	द्रव्यमान से नमी का प्रतिशत	द्रव्यमान से बाह्य कार्बनिक पदार्थ का प्रतिशत	द्रव्यमान के बाह्य अकार्बनिक पदार्थ का प्रतिशत	द्रव्यमान से शिवरल्ड अपनव घुन लगे हुए क्षतिग्रस्त और विवर्णिहृत बीज का प्रतिशत	वाष्पशील तेल मि.ली./100 ग्राम
	(अधिकतम)	(अधिकतम)	(अधिकतम)	(अधिकतम)	(न्यूनतम)
1	2	3	4	5	6
श्रेणी–I	10.0	1.0	0.25	1.0	3.5
श्रेणी–II	10.0	1.05	0.5	1.5	2.5
श्रेणी–III	11.0	2.0	1.0	2.0	1.5

साधारण अपेक्षाएं
7
अजवाइन के बीज—
1. ट्राचिस्पर्मम अमी (एल) पौधे के सूखे फल होंगे ;
2. अजवाइन के बीजों का स्वाद और गंध ताजी और सामान्य तथा संबंधित उपज के समान होगी। इसमें विकृत गंधी स्वाद और मस्टी गंध नहीं होगी ;
3. यह दृश्य फफूंदी, जीवित कीटों या अन्य हानिप्रद पदार्थों, कीट ग्रस्तता, कृतक संदूषण और अतिरिक्त रंजक पदार्थ से मुक्त होंगी ;
4. एफ्लेटोक्सिन की मात्रा, धात्विक संदूषण, कीटनाशी अवशेष, विषाक्त धातु, फसल संदूषण, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न टाक्सिक पदार्थों के संबंध में खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन यथाविहित निर्बन्धनों का अनुपालन होगा ।
स्पष्टीकरण :—
1. कार्बनिक बाह्य पदार्थ में पत्ती, तना , शल्क, अन्य बीज या कोई अन्य कार्बनिक बाह्य पदार्थ शामिल हैं ।
2. अकार्बनिक बाह्य पदार्थ में रेत, मिट्टी, धूल, पत्थर या कोई अन्य अकार्बनिक पदार्थ शामिल हैं ।
3. सिकुड़े हुए और अपरिपक्व बीज वे हैं जिनका समुचित रूप से विकास नहीं हुआ है।
4. घुन लगे हुए बीज, ऐसे हैं जिनमें घुन या अन्य कीटों द्वारा अंशतः या पूर्णतः छिद्र कर दिया गया है या खा लिए गए हैं।
5. क्षतिग्रस्त या विवर्णित बीज : इसमें ऐसे कटे, टूटे, क्षतिग्रस्त और विवर्णित क्षतिग्रस्त और विवर्णित बीज सम्मिलित हैं जो गुणवत्ता को तात्विक रूप से प्रभावित करते हैं।

अनुसूची–III

(नियम 3 और 4 देखें)

अजवाइन चूर्णीकृत की क्वालिटी का श्रेणी अभिधान और परिभाषाएं

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा						
	विशेष अपेक्षाएं						साधारण अपेक्षाएं
	द्रव्यमान से नमी का प्रतिशत (अधिकतम)	शुष्क भार के आधार पर कुल भस्म का द्रव्यमान का प्रतिशत (अधिकतम)	शुष्क भार के आधार पर द्रव्यमान के प्रतिशत से अम्ल में अघुलनशील भस्म (अधिकतम)	द्रव्यमान के प्रतिशत से शुष्क भार के आधार पर अवाष्पशील ईथर एक्सट्रेक्ट की मात्रा (न्यूनतम)	द्रव्यमान के प्रतिशत से शुष्क भार के आधार पर अपारिष्कृत फाइबर की मात्रा (अधिकतम)	वाष्पशील तेल मि.ली. 100/ग्राम (न्यूनतम)	
1	2	3	4	5	6	7	8
श्रेणी–I	10.0	7.0	0.5	20.0	14.0	3.5	1. अजवाइन पाउडर चूर्ण, ट्राचितपर्मम अम्भी (एल) पौधे के सूखे, साफ पके फलों को पीसकर अभिप्राप्त सामग्री होगी ।
श्रेणी—II	10.0	8.0	1.0	15.0	18.0	18.0	
श्रेणी—III	10.0	10.0	1.5	10.0	20.0	1.0	

1	2	3	4	5	6	7	8
							2. चूर्ण का स्वाद और गंध ताजी होगी और सामान्यतया उत्पाद से संबंधित होनी चाहिए । इसका स्वाद विकृत गंधी नहीं होना चाहिए और और इसमें मस्टी गंध नहीं आनी चाहिए ।
							3. उत्पाद, धूल, फफूंद और कीट ग्रसन से मुक्त होगा ।
							4. अतिरिक्त रंजक पदार्थ, परिरक्षण और बाहरी स्टार्च से मुक्त होगा ।
							5. यह स्थूल तत्वों से मुक्त होगा और इतना बारीक पीसा जाएगा कि यह 500 माइक्रान की छन्नी से निकल जाए ।
							6. एफ्लेक्टोक्सिन की मात्रा, धात्विक दूषण, कीटनाशक अपशिष्ट, विषाक्त धातु, फसल प्रदूषण, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न टाक्सिक पदार्थों के संबंध में इसके लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों का अनुपालन किया जाएगा ।

[फा. सं. 18011/10/95-एम II]

बी.एन. मिश्र, आर्थिक सलाहाकार

MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT

(Department of Rural Development)

New Delhi, the 26th September, 1997

G.S.R. 372.—Whereas the draft of Ajowan seeds (Whole & Powder) Grading and Marking Rules, 1995 were published, as required by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) under the notification of the Government of India in the Ministry of Rural Areas and Employment number G.S.R. 359 dated the 19th August, 1996 at pages 1767 to 1773 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 11th November, 1996;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937, and in supersession of the Ajowan seeds (whole) Grading and Marking Rules, 1970, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title, application and commencement :—

(1) These rules may be called the Ajowan Seeds (Whole and Powdered) Grading and Marking Rules, 1997.

(2) They shall apply to Ajowan Seeds (Trachyspermum ammi) (linn(whole and powdered.

(3) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;

(b) "Authorised Packer" means a person or body of persons who has been granted the certificate of authorisation to grade and mark the commodity in accordance with the provisions of these rules;

(c) "Certificate of authorisation" means a certificate issued under the General Grading and Marking Rules, 1988;

(d) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.

3. Grade designation.—The grade designations to indicate the quality of the article shall be as set out in column 1 of the Schedule-II.

4. Definition of quality.—The quality indicated by such grade designation and general characteristics of Ajowan shall be as set out against each grade designation in columns 2 to 7 of Schedule-II and 2 to 8 of Schedule-III.

5. Grade designation mark.—The grade designation mark shall consist of—

(i) A label specifying name of the commodity grade designation and bearing a design consisting of an outline map of India with the word "AGMARK" and figure of the rising sun resembling the one as set out in Schedule I-A or;

(ii) "AGMARK Replica" consisting of a design incorporating the number of certificate of authorisation the word "AGMARK", name of the commodity grade designation and resembling the one as set out in Schedule I-B :

Provided that the use of AGMARK Replica in lieu of Agmark labels shall be allowed only to such authorised packers who have been granted permission by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this regard and subject to the consitions as specified under the General Grading and Marking Rules, 1988.

6. Method of Marking.—(1) The grade designation mark shall be securely affixed to or clearly and indelibly printed on each container;

(2) In addition to the grade designation mark, the following particulars shall be clearly and indelibly marekd on each container :—

(a) Name and address of the packer;

(b) Place of packing;

(c) Date of packing in month and year;

(4) Lot/Batch number;

(f) Date of expiry;

(g) Price;

(3) An authorised packer may after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or any officer authorised by him in this behalf in accordance with Rule 11 of the General Grading and Marking Rules, 1988 affix his private trade mark or trade brand on graded packages, provided that the same does not indicate quality or grade other than that indicated by the grade designation mark affixed to the graded packages in accordance with these rules.

7. Method of packing.—(1) The graded article shall be packed in clean, sound and dry containers such as jute bags, cotton bags, polywoven bags, paper bags, polyethylene laminated pouches, cardboard cartons, tin, glass, plastic containers, wooden cases, or any other materials or in such other manner as may be approved by the Agricultural Marketing Adviser or any other officer authorised by him in this behalf as per Rule 11 of the General Grading and Marking Rules, 1988 provided that the packing material is of food grade quality as permitted under Prevention of Food Adulteration Rules, 1955;

(2) Polyethylene or polypropylene of minimum 100 microns thickness shall be used in packing of whole and powedered material in jute bags, cloth bags and cardboard cartons;

(3) In all cases, the container shall be free from insect infestation, fungus contamination materials impatting colour, deleterious substances or any undesirable or obnoxious smell;

(4) Each container shall be securely closed and sealed.

8. Special conditions for grant of certificate of Authorisation.—In addition to the conditions specified in sub-rule (8) of Rule 3 of the General Grading and Marking Rules, 1988, the following shall be additional conditions for grant of certificate of authorisation for grading and marking Ajowan (Whole and Powder) under these rules, namely :—

(1) The authorised packer shall either set up his own laboratory manned by a qualified chemist, approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with Rule 9 of the General Grading and Marking Rules, 1988 for testing the quality of Ajowan (Whole and Powdered) or have access to the State Grading Laboratory or private commercial laboratory approved for the purpose.

(2) The premises for processing, grading and packing shall be maintained in perfect bygienic and sanitary conditions;

(3) The personnel engaged in these operations shall be in sound health and free from any contagious disease.

SCHEDULE I–A

[*See* Rule 5(i)]

DESIGN OF THE AGMARK LABEL

SCHEDULE I-B

[*See* Rule 5(ii)]

DESIGN OF AGMARK REPLICA

NAME OF COMMODITY.....

GRADE .....

SCHEDULE II

(*See* Rules 3 and 4)

Grade designation and definitions of quality of Ajowan (Whole) Seeds

Grade designation	Definition of quality					
	Special requirements					General requirements
	Moisture percent by mass (Maximum)	Organic extraneous matter percent by mass (Maximum)	Inorganic extraneous matter percent by mass (Maximum)	Shrivelled immature weevilled damaged and discoloured seeds percent by mass Maximum)	Volatile oil ml/100 gms (Minimum)	
1	2	3	4	5	6	7
Grade—I	10.0	1.0	0.25	1.0	3.5	The Ajowan seed shall : (1) be the dried ripe fruits of the plant Trachyspermum-ammi (L); (2) taste and smell of ajowan seeds shall be fresh and normally associated with the produce. It shall not give rancid taste and musty odour; (3) be free from visible mould, live insects, any harmful foreign
Grade—II	10.0	1.5	0.5	1.5	2.5	
Grade—III	11.0	2.0	1.0	2.0	1.5	

7
matter, insect infestation, rodent contamination and added colouring matter;
(4) comply with the restrictions in regard to aflatoxin content, metallic contaminants, insecticide residue, poisonous metals, crop contaminants, and naturally occurring toxic substances as prescribed under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955.

Explanation : (1) Organic extraneous matter : Includes leave, stem, chaff, other seeds or any other foreign matter.

(2) Inorganic extraneous matter : Includes-sand, earth, dust, stones or any other inorganic matter.

(3) Shrivelled and immature seeds : that have not properly developed.

(4) Weevilled seeds : Seeds that are partially or wholly bored or eaten away by weevil or other insects.

(5) Damaged and discoloured seeds : Include seeds that are cut, broken, damaged and discoloured, damaged and discolouration materially affecting the quality.

SCHEDULE III

(*See* Rule 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of Ajowan powdered

Grade designation	Definition of quality						
	Special requirements						General requirements
	Moisture percent by mass (Maximum)	Total ash on dry weight basis percent by mass (Maximum)	Acid insoluble ash on dry weight basis percent by mass (Maxi mum)	Non-volatile either extract on dry weight basis percent by mass (Minimum)	Crude fibre on dry weight basis percent by mass (Maximum)	Volatile oil ml/100 gm (Minimum)	
1	2	3	4	5	6	7	
Grade—I	10.0	7.0	0.5	20.0	14.0	3.5	(1) Ajow[illegible] powder shall
Grade—II	10.0	8.0	1.0	15.0	18.0	2.0	be th[illegible] [illegible]erial ob-

1	2	3	4	5	6	7	8
Grade—III	11.0	10.0	1.5	10.0	20.0	1.0	tained by grinding the dry, clean, ripe fruits of the pla Trachyspermum-ammi (L); (2) The taste and smell of the powder shall be fresh and normally associated with the product. It shall not give rancid taste and musty odour; (3) The produce shal be free from dirt, mould and insect infestation; (4) It shall also be fre: from added colouring matter, preservatives and foreign starch; (5) It shall be free from coarse particles and ground to such a fineness that the whole of it passes through 500 micron sieve; (6) It shall comply with restrict ions in regard to aflatoxic content, metallic contaminants, pesticide residue, poisonous metals, crop contaminants and naturally occurring toxic substances as specified under the P vention of Food Adulteration Rules, 1955.

[F. No. 18011/10/95-M-II]

V. N. MISHRA, Economic Adviser

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1997

सा. का. नि. 373.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, जिसके अन्तर्गत खोज खण्ड भी है, (समूह "क" और समूह "ख" पद.) भर्ती नियम, जहां तक उनका संबंध प्रबंधक और सहायक प्रबंधक के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण में

प्रबंधक और सहायक प्रबंधक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (प्रबंधक और सहायक प्रबंधक) भर्ती नियम, 1997 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
1. प्रबंधक	1* (1997) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित अननुसचिवीय	10,000 325-15,200 रु.	चयन	45 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।	हां

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से मुद्रण औद्योगिकी में डिग्री या	नहीं	2 वर्ष

8	
किसी मान्यताप्राप्त संस्था से मुद्रण औद्योगिकी में डिप्लोमा सहित कला या विज्ञान में डिग्री (2) बहु-रंग आफसेट मुद्रणालय मानचित्र इत्यादि में, जिसके अन्तर्गत किसी आफसेट मुद्रणालय का योजना और प्रबंध भी है, कम से कम दस वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 :—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2. :— अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : ऐसे सहायक प्रबंधक जिसने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है।
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) : (1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष (2) संयुक्त सचिव या निदेशक या उप सचिव, खान मंत्रालय —सदस्य (3) ज्येष्ठ उप महानिदेशक या उप महानिदेशक, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण —सदस्य समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में में विचार करने के लिए) : (1) संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय —अध्यक्ष (2) निदेशक/उप सचिव, खान मंत्रालय —सदस्य	सीधी भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(3) ज्येष्ठ उप महानिदेशक या उप महानिदेशक, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण —सदस्य

टिप्पण :—पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े हुए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
2. सहायक प्रबंधक	1* (1997) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित (अननुसूचित-वीय)	8,000—275—13,500	लागू नहीं होता	40 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	हां

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक (1) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा सहित कला या विज्ञान में डिग्री। (2) बहु-रंगा आफसैट मुद्रणालय मानचित्र इत्यादि में जिसके अन्तर्गत किसी आफसैट मुद्रणालय का योजना और प्रबंध भी है, कम से कम पांच वर्ष का अनुभव। टिप्पणी :—1. अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2:—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी	लागू नहीं होता	2 वर्ष

8	
प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।
11	12
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (1) संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय —अध्यक्ष (2) निदेशक/उप सचिव, खान मंत्रालय —सदस्य (3) ज्येष्ठ उप महानिदेशक/उप महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण —सदस्य टिप्पण :—पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. संख्या 15/5/95-एम.-II]
के. शशिकान्तन, अवर सचिव

MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 29th October, 1997

G.S.R. 373.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Geological Survey of India including Exploration Wing (Group 'A' & 'B' posts) Recruitment Rules, 1973 in so far as they relate to the posts of Manager and Assistant Manager, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Manager and Assistant Manager in Geological Survey of India, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Geological Survey of India (Manager and Assistant Manager) Recruitment Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scales of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Powers to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with regard to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribe, Ex-Serviceman and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS. (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Manager	X* (1997) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 10,000–325–15,200/-.	Selection	45 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	Yes

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment, or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)	(11)
Essential : (i) A degree in Printing Technology from a recognised Institution. OR A degree in Arts or Science with a diploma in Printing Technology from a recognised Institution. (ii) Atleast ten years experience in multi-colour Offset Printing maps etc. including planning and management of an Offset Printing Press. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of the candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be	No	2 years	By promotion failing which by direct recruitment.

8

available to fill up the vacancies reserved for them.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)	(14)
Promotion : Assistant Manager with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion :) (i) Chairman or a Member, Union Public Service Commission. —Chairman (ii) Joint Secretary or Director or Deputy Secretary, Ministry of Mines. —Member (iii) Senior Deputy Director General or Deputy Director General, Geological Survey of India. —Member Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) : (i) Joint Secretary, Ministry of Mines —Chairman (ii) Director/Deputy Secretary, Ministry of Mines. —Member (iii) Senior Deputy Director General or Deputy Director General, Geological Survey of India. —Member Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of direct recruits shall be sent to the Commission for approval. If however these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or Member of the UPSC shall be held.	Consultation with UPSC is necessary for direct recruitment.

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Assistant Manager.	1* (1997) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 8,000–275–13,500/-	Not Applicable	40 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	Yes

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)	(11)
Essential (i) A degree in Printing Technology from a recognised Institution. OR A degree in Arts or Science, with a diploma in Printing Technology from a recognised Institution. (ii) At least Five years experience in multicolour Offset Printing maps, etc. including planning and management of an Offset Printing Press. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of the candidates otherwise well qualified. Note 2 : The Qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved from them.	Not Applicable	2 years	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion/deputation/ transfer grades from which promotion/deputation/ transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)	(14)
Not Applicable	Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering confirmation : (i) Joint Secretary, Ministry of Mines. —Chairman (ii) Director/Deputy Secretary, Ministry of Mines. —Member (iii) Senior Deputy Director General/Deputy Director General, Geological Survey of India. —Member	Consultation with Union Puboic Service Commission is necessary on each occasion.

13

Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If however these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or Member of the Union Public Service Commission shall be held.

[File No. 15/5/95–M.II]

K. SASIKANTHAN, Under Secy.

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(नौवहन महानिदेशालय)

मुम्बई, 24 अक्तूबर, 1997

सा.का.नि. 374.—संविधान की धारा 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा, नौवहन महानिदेशालय, मुम्बई के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन प्रशिक्षण पोत "राजेन्द्र" में शैक्षिक व्याख्याता, समूह "क", राजपत्रित और प्रशिक्षण पोत "नौलक्षी" में इंजीनियर अधिकारी (कनिष्ठ) पदों के बारे में भर्ती प्रणाली 1978 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(i) ये नियम, समूह "क", राजपत्रित पद, भर्ती संशोधन नियम, 1997 कहे जाएंगे ।

(ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2. प्रशिक्षण पोत "राजेन्द्र" शैक्षिक व्याख्याता और प्रशिक्षण पोत "नौलक्षी" इंजीनियर अधिकारी (कनिष्ठ) समूह "क" राजपत्रित पद, भर्ती नियम, 1978 की अनुसूची में ।

(i) स्तम्भ (6) में मद (iii) के सामने सीधी भर्ती के लिए उम्र-सीमा शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित को अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

सीधी भर्ती के लिए उम्र-सीमा : सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के का.ज्ञा. सं. सी एस एल-14017(1)-82-इस्ट (आर आर) दिनांक 4-6-1993 के निर्देशों के अनुसार पांच वर्ष शिथिलनीय होगी ।

[सं. पी बी-1(1)/97]

ए. कन्नन, उप नौवहन महानिदेशक

पाद टिप्पणी : प्रशिक्षण पोत "राजेन्द्र", "भद्रा", मेखला" और "नौलक्षी" के बारे में प्रमुख भर्ती नियम (श्रेणी-I और श्रेणी-II पदों पर भर्ती) 1959 को सा.का.नि.-99, दिनांक 15-01-59 के रूप में प्रकाशित किया गया था और सा.का.नि. सं. शून्य, दिनांक 22-3-1978 के द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था । भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड-3, उपखंड (i) में दिनांक 23-3-78 और 20-01-79 को प्रकाशित सा.का.नि. सं. शून्य दिनांक 20-01-79

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING

Mumbai, the 24th October, 1997

G.S.R. 374.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article-309 of the constitution, the president hereby makes the following rules further to amend the method of recruitment to Group 'A' Gazetted posts of Academic Lecturer, Training Ship, Rajendra and Engineer Officer (Junior) Training Ship Naulakshi 1978 under the Administration Control of Director General of Shipping, Mumbai namely :—

1. Short title and Commencement :—

(i) These rules may be called the amendment of Group 'A' Gazetted posts Recruitment Rules, 1997.

(ii) They shall come into force from date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Academic Lecturer Trading Ship Rajendra and Engineer Officer (Junior) Training Ship Naulakshi Group 'A' Gazetted posts Recruitment Rules 1978 :

(i) Against item (iii) in column (6) for the Heading age limit for direct recruit and the entry relating thereto, the following shall be inserted namely :

Age limit for Direct recruits.—Relaxable for Government servants upto Five years in accordance with instructions of DPAR O.M. No. CSI-14017 (1)-82-EST (RR) dated 4-6-1993.

[No. PB-1(1)/97]

A. KANNAN, Dy. Director General of Shipping

FOOT NOTE.—The Principal Recruitment Rules of the T. S. "Rajendra", "Bhadra", "Mekhla" and "Naulakshi" (Recruitment to Class-I and Class-II) Rules, 1959 were published as GSR—99 dated 15-1-59 and last amended vide GSR No. Nil dated 22-3-1978 and GSR No. Nil dated 20-1-79 published in Gazette of India Part II Section-3 Sub-Section (i) dated 23-3-78 and 20-1-79.

श्रम मंत्रालय

(रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 1997

सा०का०नि० 375.—केन्द्रीय सरकार, मूल नियमों के नियम 45 के उपबंधों के अनुसरण में रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय श्रम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन

विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत नियोजित अधिकारियों को सरकारी निवास स्थानों के आबंटन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी निवास-स्थान आबंटन (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय पूल) नियम, 1997 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :—ये नियम रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन विभिन्न कार्यालयों में विद्यमान आवास सुविधा और ऐसी आवास सुविधा जिसका निर्माण भविष्य में किया जाना है, को लागू होंगे ।

3. परिभाषा : इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) "आबंटन" से इन नियमों के उपबंधों के अनुसार निवास स्थान के अधिभोग के लिए अनुज्ञप्ति देना अभिप्रेत है ;

(ख) "आबंटन वर्ष" से प्रथम जनवरी को आरम्भ होने वाला और 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाला वर्ष या ऐसी अन्य अवधि अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए;

(ग) "पात्र कार्यालय" से रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन केन्द्रीय सरकार का वह कार्यालय अभिप्रेत है जिसके कर्मचारिवृन्द को इन नियमों के अधीन आवास सुविधा के लिए पात्र घोषित किया गया है ;

(घ) "उपलब्धियों" से विशेष वेतन या उसकी व्यक्तिगत अर्हताओं को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत वेतन से भिन्न ऐसा वेतन अभिप्रेत है जो उसके द्वारा अधिष्ठायी रूप से या स्थापन्न हैसियत में धारित किसी पद के लिए मंजूर किया गया है या जिसके लिए किसी कैडर में उसकी स्थिति के कारण वह हकदार है ।

स्पष्टीकरण :— इस खंड के प्रयोजन के लिए निलम्बित अधिकारी के मामले में उपलब्धियों से वे उपलब्धियां मानी जाएंगी जो उसने उस आबंटन वर्ष के प्रथम दिन प्राप्त की है जिसमें वह निलम्बित किया गया है अथवा यदि वह आबंटन वर्ष के प्रथम दिन ही निलम्बित किया गया है तो जो उसके द्वारा उस तारीख के ठीक पहले प्राप्त की गई है ;

(ङ) "संपदा अधिकारी" से सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) के अधीन संपदा अधिकारी के रूप में अभिहित अधिकारी अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के अधीन आबंटित स्थानों पर अधिकारिता प्राप्त है;

(च) "कुटुम्ब" से अभिप्रेत है, यथास्थिति पत्नि अथवा पति और संतान, सौतेला संतान वैध रूप से दत्तक ली गई संतान, माता, पिता भाई अथवा बहनें जो सामान्य तथा अधिकारी के साथ निवास करते हैं और जो इस पर आश्रित है ;

(छ) अधिकारी नियम 6 के उपबंधों के अधीन जिस प्रकार के निवास स्थान का पात्र उसके संबंध में टाइप V (क) टाइप –VII आवास सुविधा की बाबत अधिकारी की "पूर्विकता तारीख" से वह पूर्वतन तारीख अभिप्रेत है जब से वह छुट्टी की अवधि के सिवाय निरंतर उतनी उपलब्धियां केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा अन्यत्र सेवा के अधीन पद पर प्राप्त करता रहा है जो उसे किसी विशिष्ट टाइप अथवा किसी उच्चतर टाइप के आबंटन के लिए संगत है और टाइप I से टाइप IV आवास सुविधा की बाबत जब से अधिकारी केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार की सेवा जिसमें अन्यत्र सेवा की अवधि भी है, निरन्तर रहा है उसकी उस टाइप के लिए पूर्विकता तारीख होगी ।

परन्तु जहां दो या अधिक अधिकारियों की पूर्विकता तारीख एक ही हो वह उनके बीच ज्येष्ठता उपलब्धियों की राशि से अवधारित की जाएगी । अधिक उपलब्धियां प्राप्त करने वाले अधिकारी को कम उपलब्धियां प्राप्त करने वाले अधिकारी से अग्रता दी जाएगी; जहां उपलब्धियां समान हैं वहां अधिकारी के वेतनमान के अनुसार उच्चतर वेतन मान वाले पद पर कार्य करने वाले अधिकारी को कम वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी से अग्रता दी जाएगी ।

(ज) "अनुज्ञप्ति फीस" इन नियमों के अधीन आबंटित निवास स्थान के संबंध में मूल नियमों के उपबंधों के अनुसार मासिक रूप के देय धन राशि अभिप्रेत है;

(झ) "निवास स्थान" से ऐसा निवास स्थान अभिप्रेत है, जो तत्समय सम्बद्ध अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में है;

(ञ) "शिकमी देने" में किसी आबंटित द्वारा अन्य व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति द्वारा अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करने पर अथवा उसके बिना, आवास सुविधा का सहभोग करना आता है ।

स्पष्टीकरण :—आबंटितों द्वारा अपने किसी निकट संबंधी के साथ आवास सुविधा का सहभोग शिकमी देना नहीं समझा जाएगा ।

(ट) "अस्थायी स्थानांतरण" से ऐसा स्थानांतरण अभिप्रेत है जिसमें अनुपस्थिति की अवधि चार मास से अधिक हो;

(ठ) "स्थानांतरण" से किसी एक स्थान से किसी अन्य स्थान को अथवा किसी पात्र कार्यालय से किसी अपात्र कार्यालय को, स्थानांतरण अभिप्रेत है और इसमें किसी राज्य सरकार के या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन सेवा को स्थानांतरण अथवा परिवर्तन और किसी अपात्र कार्यालय अथवा संगठन में किसी पद पर प्रतिनियुक्ति भी आती है;

(ङ) किसी अधिकारी के संबंध में "टाइप" से निवास स्थान का वह टाइप अभिप्रेत है जिसका वह नियम 6 के अधीन पात्र है ।

4. अपने मकान वाले अधिकारियों को आबंटन :—(1) ऐसे किसी अधिकारी जिसके अपने कर्त्तव्य स्थान पर या उससे लगी हुई नगर पालिका में अपने स्वयं के नाम या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम में कोई मकान है । वह दर पर अनुज्ञप्ति फीस के देने पर जो सरकार द्वारा समय-समय पर उसे आबंटित सरकारी आवास सुविधा के लिए अवधारित की जाए, सरकारी निवास स्थान के आबंटन का पात्र होगा ।

(2) जहां किसी अधिकारी को सरकारी निवास स्थान का आबंटन हो चुकने के बाद वह स्वयं या उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य उसके कर्त्तव्य स्थान पर या उससे लगी हुई नगर पालिका में किसी मकान का स्वामी बनता है वहां ऐसा अधिकारी जिस तारीख से मकान किराये पर दिया जाता है या अधिभोग में लिया जाता है या मकान के पूरा होने की तारीख जो भी पूर्वतर हो उससे एक मास की अवधि के भीतर संपदा अधिकारी को इस तथ्य को अधिसूचित करेगा ।

(3) इस नियम में, —

(क) "लगी हुई नगर पालिका" से ऐसी नगर पालिका अभिप्रेत है जो किसी स्थानीय नगरपालिका से लगी हुई है;

(ख) किसी अधिकारी या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के संबंध में "मकान" से ऐसा भवन या उसका कोई भाग अभिप्रेत है, जिसका प्रयोग निवास के प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो और जो स्थानीय या किसी लगी हुई नगरपालिका की अधिकारिता के भीतर स्थित हो ।

स्पष्टीकरण :—किसी भवन का कोई भाग जिसका प्रयोग निवास के प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, इस खंड के प्रयोजन के लिए इस बात के होते हुए भी मकान समझा जायेगा कि उसका कोई भाग अनिवासीय प्रयोजनों के के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है ।

(ग) किसी अधिकारी के संबंध में "स्थानीय नगर-पालिका" से वह नगरपालिका अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता के भीतर उस अधिकारी का कार्यालय स्थित है;

(घ) किसी अधिकारी के संबंध में "कुटुम्ब के सदस्य" से यथास्थिति, पति, पत्नी या अधिकारी की उस पर आश्रित संतान अभिप्रेत है;

(ङ) "नगरपालिका" के अन्तर्गत नगर निगम, नगर-पालिका समिति या बोर्ड, टाउन एरिया समिति, नोटीफाइड एरिया समिति और छावनी बोर्ड आते हैं ।

5. पति और पत्नी को आबंटन, एक दूसरे से विवाहित अधिकारियों के मामले में पात्रता—(1) किसी अधिकारी, को यथा स्थिति, जिसकी पत्नी या जिसके पति को इन नियमों के अधीन या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के अधीन निवास स्थान संबंधित आवास सुविधा के आबंटन संबंधित किसी अन्य नियम के अधीन पहले ही निवास आबंटित किया जा चुका है, इन नियमों के अधीन उसी स्थान पर कोई निवास स्थान तब तक आबंटित नहीं किया जायगा जब तक ऐसा निवास स्थान अभ्यर्पित नहीं कर दिया जाता ।

परन्तु यह उपनियम वहां लागू नहीं होगा जहां पति और पत्नी किसी न्यायालय द्वारा किये गये न्यायिक पृथक्करण के आदेश के अनुसरण में पृथक-पृथक निवास कर रहे हैं ।

(2) जहां दो अधिकारी जो इन नियमों के अधीन या केन्द्रीय या राज्य सरकारों के निवास स्थान संबंधी आवास सुविधा के आबंटन के लिए किसी अन्य नियम के अधीन पृथक रूप से एक ही स्थान पर आबंटित निवास स्थानों के अधिभोगी हैं; एक दूसरे से विवाह कर लें वहां वे विवाह के एक मास के भीतर उन निवास स्थानों में से एक अभ्यर्पित कर देंगे ।

(3) यदि निवास स्थान का अभ्यर्पण नियम दो की अपेक्षानुसार नहीं किया जाता है तो निम्नतर टाइप के निवास का आबंटन ऐसी अवधि के अवसान पर रद्द समझा जायगा। और यदि निवास स्थान एक ही टाइप के हैं तो सम्पदा अधिकारी के विनिश्चयानुसार उन में से एक का आबंटन ऐसी अवधि के अवसान पर रद्द समझा जायेगा।

(4) जहां पति और पत्नी दोनों केन्द्रीय सरकार के अधीन नियोजन में हैं, वहां उन दोनों में से प्रत्येक के इन नियमों के अधीन निवास स्थान के आबंटन के हक पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जायगा।

(5) उपनियम (1) से (4) तक में किसी बात के होते हुए भी :—

(क) यदि, यथा स्थिति, पत्नी या पति को, जो इन नियमों के अधीन निवास स्थान का आबंटित है, ऐसे पल में, जिसे वे नियम लागू नहीं होते, एक ही स्टेशन पर बाद में निवास स्थान संबंधी कोई आवास सुविधा आबंटित कर दी जाती है तो, यथा स्थिति, पत्नी या पति ऐसे आबंटन के एक मास के भीतर इन निवास स्थानों में से कोई एक अभ्यर्पित कर देगा।

परन्तु यह खंड वहां लागू नहीं होगा जहां पति और पत्नी किसी न्यायालय द्वारा किए गए न्यायिक पृथक्करण के आदेश के अनुसरण में पृथक पृथक निवास कर रहे हैं।

(ख) जहां दो अधिकारी जो एक ही स्टेशन पर ऐसे पृथक निवास स्थानों के अधिभोगी हैं जिनमें से एक निवास-स्थान इन नियमों के अधीन आबंटित किया गया है और दूसरा पल में जिसे ये नियम लागू नहीं होते, एक दूसरे से विवाह कर लें, वहां उनमें से कोई भी एक अधिकारी ऐसे विवाह के एक मास के भीतर उन निवास स्थानों में से किसी एक को अभ्यर्पित कर देगा।

(ग) यदि निवास-स्थान का अभ्यर्पण खंड (क), या खंड (ख) की अपेक्षानुसार नहीं किया जाता है तो निवास स्थान का आबंटन ऐसी अवधि के अवसान पर रद्द समझा जाएगा।

3. निवास स्थानों का वर्गीकरण :—इन नियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय अधिकारी नीचे दी गई सारणी में वर्णित टाइप के निवास स्थान के आबंटन का पात्र होगा :—

निवास स्थान का टाइप	अधिकारी की जिस आबंटन वर्ष आबंटन किया जाए उसके प्रथम दिन उसका वर्ग अथवा उसकी मासिक उपलब्धियां
I.	950 रुपए से न्यून।
II.	1500 रुपए से कम किन्तु 950 से कम नहीं।
III.	2800 रुपए से कम किन्तु 1500 रुपए से कम नहीं।
IV.	3600 रुपए से कम किन्तु 2800 रुपए से कम नहीं।
V. (क)	4500 रुपए से कम किन्तु 3600 रुपए से कम नहीं।
V. (ख)	5900 रुपए से कम किन्तु 4500 रुपए से कम नहीं।
VI. (क)	6700 रुपए से कम किन्तु 5900 से कम नहीं।
VII. (ख)	6700 रुपए और उससे ऊपर।

परन्तु जहां टाइप V और टाइप VI आवास सुविधा का वर्गीकरण टाइप V(क) और टाइप V(ख) तथा टाइप VI (क) और टाइप VI(ख) के रूप में वर्गीकरण नहीं किया गया है वहां टाइप V के लिए पात्र सभी अधिकारियों को एक साथ समूह में रखा जाएगा और उनको जो टाइप VI के लिए पात्र है, को भी एक साथ समूह में रखा जाएगा।

(1) आबंटन के लिए आवेदन :—(1) प्रत्येक सरकारी अधिकारी जो सरकारी आवास सुविधा का अधिभोगी है, अपना आवेदन ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से तथा ऐसी तारीख तक भेजेगा जो संपदा अधिकारी द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) उन अधिकारियों की दशा में जो सरकारी आवास सुविधा के अधिभोगी नहीं हैं सम्पदा अधिकारी ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से तथा ऐसी तारीख से पूर्व, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आवेदन आमंत्रित करेगा।

(3) वह अधिकारी जो प्रथम नियुक्ति पर या स्थानान्तरण पर किसी कार्यालय में पदभार ग्रहण करता है, अपना आवेदन अपने पदभार ग्रहण करने के एक मास के भीतर ऐसे स्टेशन में सम्बद्ध संपदा अधिकारी को भेज सकता है।

(4) उप नियम (3) के अधीन किसी भी कलेण्डर मास में आबंटन के लिए, केवल उन्हीं आवेदनों पर विचार किया जाएगा जो पूर्ववर्ती मास की अंतिम तारीख को या उसके पूर्व प्राप्त हो जाएं।

8. निवास-स्थानों का आबंटन और अपवाद :—(1) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाए, किसी निवास स्थान के खाली होने पर वह सम्पदा अधिकारी द्वारा अधिमानतः उस आवेदक को आबंटित किया जाएगा जो नियम 15 के उपबन्धों के अधीन उस टाइप की आवास सुविधा का परिवर्तन चाहता है और यदि उस प्रयोजन के लिए अपेक्षित न हो तो उस आवेदक को आबंटित किया जाएगा जिसके पास उस टाइप की आवास सुविधा नहीं है और जिसकी उस टाइप के निवास स्थान के लिए पूर्विकता तारीख सब से पहले हो। वह आबंटन निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होगा, अर्थात् :—

(i) संपदा अधिकारी उस टाइप से उच्चतर टाइप का निवास स्थान आबंटित नहीं करेगा जिसका आवेदन नियम 6 के अधीन पात्र है।

(ii) संपदा अधिकारी किसी आवेदक को इस बात के लिए विवश नहीं करेगा कि वह जिस टाइप के निवास के लिए हकदार है उससे न्यून टाइप स्वीकार करे।

(iii) संपदा अधिकारी किसी निम्नतर कोटि के निवास स्थान के आबंटन के लिए किसी आवेदक की प्रार्थना पर उसे ऐसे टाइप से ठीक निम्नतर निवास स्थान आबंटित कर सकता है जिसके लिए आवेदक नियम 6 के अधीन, उसके लिए अपनी पूर्विकता तारीख के आधार पर पात्र है।

(2) यदि किसी अधिकारी के अधिभोग के निवास स्थान को खाली कराना अपेक्षित हो तो संपदा अधिकारी उस अधिकारी का वर्तमान आबंटन रद्द कर सकता है और उसे उसी टाइप का अनुकल्पी निवास-स्थान आबंटित कर सकता है अथवा अत्यावश्यकता की स्थिति में उस अधिकारी के अधिभोग के निवास स्थान के टाइप से ठीक निम्नतर टाइप का अनुकल्पी निवास-स्थान आबंटित कर सकता है।

(3) खाली निवास-स्थान को उपर्युक्त उप नियम (i) के अधीन उसे किसी अधिकारी को आबंटित किए जाने के अतिरिक्त अन्य पात्र अधिकारियों को उनकी पूर्विकता तारीखों के क्रम से आबंटन के लिए प्रस्थापित किया जा सकता है।

9. कतिपय प्रवर्गों के अधिकारियों के लिए पृथक पूलों का बनाए रखना :—(1) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित पूल बनाए रखे जाएंगे, अर्थात् :—

(i) महिला अधिकारियों का पूल उन महिला अधिकारियों के लिए जिनका विवाह हो चुका है और अकेली महिला अधिकारियों के लिए पृथक रूप से महिला अधिकारी पूल।

(ii) निम्नलिखित प्रवर्गों के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द के लिए आवश्यक कर्मचारी पूल, अर्थात् :—

(क) प्रत्येक संस्थान/कार्यालय का निदेशक/प्रधान,

(ख) चिकित्सा अधिकारी,

(ग) होस्टल वार्डन/होस्टल अधीक्षक,

(घ) ड्राइवर (प्रत्येक कार्यालय/संस्था का केवल एक)।

(ङ) विद्युत मिस्त्री।

(iii) ऐसे अधिकारी/कर्मचारियों जिनकी सेवाएं स्थानांतरणशील है के लिए पृथक रूप से "स्थानांतरण" पूल ।

स्पष्टीकरण—खंड (i) के प्रयोजन के लिए,—

(क) "विवाहित महिला अधिकारी" से ऐसी महिला अधिकारी अभिप्रेत है जो विवाहित जीवन बिता रही है और जो अपने पति से न्यायिक रूप से पृथक नहीं की गई है ;

(ख) "अकेली महिला अधिकारी" से ऐसी महिला अधिकारी अभिप्रेत है जो विवाहित महिला अधिकारी नहीं है ।

(2) इन पूलों में रखे जाने वाले निवास स्थानों की संख्या और टाइप रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाएगी ।

(3) अधिकारी, उपनियम (1) के खंड (ii) के उपखंड (क) के आवश्यक कर्मचारी और महिला पूल से महिला अधिकारियों के अधीन अधिकारी को छोड़ कर, टाइप I और टाइप II आवास सुविधाओं के हकदार कर्मचारियों के अपवाद के उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट पूल में उस टाइप जिसके लिए वे नियम 6 के उपबंधों के अधीन हकदार हैं, ठीक नीचे का टाइप की आवास सुविधा के आबंटन के लिए हकदार होंगे ।

(4) इस नियम के अधीन निवास स्थानों के आबंटन के लिए पात्र अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी, अर्थात् :—

(क) महिला अधिकारी पूल में पूर्विकता की उस तारीख के आधार पर जिसको प्रत्येक ऐसा अधिकारी उस पूल में निवास स्थान की टाइप के लिए पात्र हो जाता है ।

(ख) आवश्यक कर्मचारी पूल में उस तारीख के आधार पर जिससे प्रत्येक ऐसे अधिकारी उस टाइप से संबंधित उपलब्धियां लेना शुरू कर देता है जिसके आबंटन के लिए उसका विचार किया जाना है ।

10. आबंटन का प्रस्थापना का स्वीकार न किया जाना अथवा आबंटित निवास स्थान को स्वीकार करने के पश्चात् अधिभोग में न लेना :—(1) यदि कोई अधिकारी किसी निवास-स्थान का आबंटन, आबंटन पत्र की प्राप्ति की तारीख से पांच दिन के भीतर स्वीकार नहीं करता है अथवा स्वीकार करने के बाद भी आठ दिन के भीतर उस निवास-स्थान का कब्जा नहीं लेता है तो वह उस आबंटन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि पर्यन्त दूसरे आबंटन का पात्र न होगा ।

(2) यदि किसी अधिकारी को जिसके अधिभोग में किसी निम्नतर टाइप का निवास स्थान है, ऐसे टाइप का निवास स्थान आबंटित या प्रस्थापित किया जाता है जिसके लिए वह नियम 8 के अधीन पात्र है या जिसके लिए उसने नियम 8 के उप-नियम (1) के खंड (iii) के अधीन आवेदन किया है तो उसे उक्त आबंटन को या आबंटन की प्रस्थापना को अस्वीकार कर देने पर, पूर्वतन आबंटित निवास स्थान में रहने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञात किया जा सकता है, अर्थात् :—

(क) ऐसा अधिकारी उस आबंटन वर्ष की शेष अवधि तक जिस वर्ष में उसने आबंटन या प्रस्थापना से इंकार किया है, दूसरे आबंटन के लिए पात्र नहीं होगा ;

(ख) वर्तमान निवास स्थान रखे रहने के दौरान उस पर वही अनुज्ञप्ति फीस प्रभारित की जाएगी जो उसे नियम मूल नियमों के नियम 45-ब के अधीन इस प्रकार आबंटित या प्रस्थापित निवास स्थान के लिए संदत्त करनी पड़ती अथवा अनुज्ञप्ति फीस जो उस निवास स्थान के लिए दिए है जो पहले ही उस के अधिभोग में है, दोनों में से जो भी अधिक हो ।

11. आबंटन प्रभावी रहने की अवधि और तत्पश्चात् कब्जा बनाए रखने की रियायती अवधि :—(1) आबंटन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको वह अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है और तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि :—

(क) अधिकारी के स्टेशन में किसी पात्र कार्यालय में कर्तव्यरूढ़ न रह जाने के पश्चात्, वह रियायती अवधि समाप्त नहीं हो जाती जो उप खंड (2) के अधीन अनुज्ञेय है ;

(ख) आबंटन संपदा अधिकारी द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता या इन नियमों के किसी उपबंध के अधीन रद्द किया गया नहीं समझा जाता ;

(ग) आबंटन अधिकारी द्वारा अभ्यर्पित नहीं कर दिया जाता ; या

(घ) अधिकारी निवास-स्थान का अधिभोग समाप्त नहीं कर देता ।

(2) अधिकारी उसे आबंटित निवास स्थान को उप नियम (3) के अधीन रहते हुए निम्न सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट घटनाओं में से किसी के होने पर उस अवधि पर्यन्त अपने पास रख सकता है जो सारणी के स्तम्भ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है ; परन्तु यह तब जब कि वह निवास स्थान उस अधिकारी या उसके कुटुम्ब के सदस्यों के वास्तविक उपयोग के लिए अपेक्षित हो :—

सारणी

घटनाएं	निवास-स्थान अपने पास रखने की अनुज्ञेय अवधि
1	2
(i) पदत्याग, पदच्युति या सेवा से हटाया जाना, सेवा का पर्यवसान अथवा बिना अनुज्ञा के अप्राधिकृत अनुपस्थिति	1 मास

1	2
(ii) सेवा निवृत्ति या सेवान्त छुट्टी	4 मास
(iii) आवंटिती की मृत्यु	12 मास
(iv) मौसम विज्ञान एवं पर्यवेक्षण महानिदेशालय के अधीन अन्य स्टेशन के लिए स्थानान्तरण	2 मास
(v) किसी अपात्र कार्यालय को स्थानान्तरण	2 मास
(vi) भारत में अन्यत्र सेवा पर जाना	2 मास
(vii) भारत में अस्थायी स्थानान्तरण अथवा भारत से बाहर किसी स्थान के लिए स्थानान्तरण	4 मास
(viii) छुट्टी (जो निवृत्ति पूर्व छुट्टी अस्वीकृत छुट्टी, सेवान्त छुट्टी चिकित्सीय छुट्टी, मातृत्व छुट्टी या अध्ययनार्थ छुट्टी से भिन्न हो)।	छुट्टी की अवधि पर्यन्त किन्तु 4 मास से अधिक नहीं।
(क) प्रसूति छुट्टी	प्रसूति छुट्टी की अवधि पर्यन्त तथा उसके जारी रहते मंजूर की गई छुट्टी किन्तु पांच मास से अधिक नहीं।
(ix) निवृत्तिपूर्व छुट्टी या मूल नियम 86 के अधीन दी गई अस्वीकृत छुट्टी अथवा ऐसे सरकारी सेवकों को दी गई अर्जित छुट्टी जो मूल नियम 56 (अ) के अधीन सेवा-निवृत्त होते हैं।	पूरे औसत वेतन पर छुट्टी की पूर्ण अवधि पर्यन्त, किन्तु निवृत्ति पूर्व छुट्टी की दशा में 180 दिन और अन्य मामलों में 4 मास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, इसमें सेवा निवृत्ति की दशा में अनुज्ञेय अवधि भी सम्मिलित है।
(x) भारत में या भारत से बाहर अध्ययनार्थ छुट्टी	(क) अधिकारी के उसकी हकदारी से निम्नतर टाइप की आवास सुविधा के अधिभोग की दशा में अध्ययनार्थ छुट्टी की पूर्ण अवधि पर्यन्त।
	(ख) ऐसे अधिकारी के मामले में जो अपनी हकदारी टाइप की आवास सुविधा का अधिभोगी है अध्ययनार्थ छुट्टी की अवधि पर्यन्त किन्तु छः मास से अधिक नहीं।
	परन्तु जब अध्ययनार्थ छुट्टी छः मास से ऊपर विस्तारित की जाती है तो छः मास की समाप्ति पर या अध्ययनार्थ छुट्टी के प्रारम्भ की तारीख से यदि वह ऐसा चाहता है, वहां उसे उसकी हकदारी से एक टाइप निम्नतर की आनुकल्पिक आवास सुविधा आबंटित की जा सकेगी।
(xi) भारत से बाहर प्रति-नियुक्ति	प्रतिनियुक्ति की अवधि पर्यन्त किन्तु छः मास से अधिक नहीं।
(xii) चिकित्सीय आधार पर छुट्टी	छुट्टी की पूर्ण अवधि पर्यन्त
(xiii) प्रशिक्षणार्थ जाने पर	प्रशिक्षण की पूर्ण अवधि पर्यन्त

स्पष्टीकरण 1:—जब भारत में स्थानान्तरण होने या अन्यत्र सेवा में जाने पर किसी अधिकारी को छुट्टी मंजूर की जाती है और वह नए कार्यालय में पद भार ग्रहण करने से पूर्व उस छुट्टी का उपभोग करता है तो उसे मद (iv), (v), (vi) और (vii) के सामने दर्शित अवधि के लिए या छुट्टी की अवधि के लिए, दोनों में से जो भी अधिक हो, निवास स्थान रखे रहने की अनुज्ञा दी जा सकती है।

स्पष्टीकरण 2:—जब भारत में स्थानान्तरण या अन्यत्र सेवा संबंधी कोई आदेश किसी अधिकारी को तब जारी किया जाता है जब वह पहले से ही छुट्टी पर है तो स्पष्टीकरण के अधीन अनुज्ञेय अवधि ऐसा आदेश जारी करने की तारीख से गिनी जाएगी।

(3) जब कोई निवास स्थान उप-नियम (2) के अधीन रखे रहा जाए तो अनुज्ञेय रियायती अवधियों की समाप्ति पर वह आबंटन तब तक रद्द किया गया समझा जाएगा जब तक उन अवधियों की समाप्ति पर वह अधिकारी किसी पात्र कार्यालय में कर्त्तव्य भार ग्रहण नहीं कर लेता है।

(4) जब कोई अधिकारी बिना वेतन और भत्तों के चिकित्सीय छुट्टी पर हो तो वह उप-नियम (2) के नीचे दी गई सारणी का (xii) के अधीन दी गई रियायत के आधार पर अपने निवास-स्थान को अपने पास रख सकता है परन्तु यह तब जब वह ऐसे निवास स्थान के लिए अनुज्ञप्ति फीस प्रतिमास नगद भेजता रहता है और ऐसी फीस दो मास से अधिक तक न भेजने की दशा में आबंटन रद्द हो जाएगा।

(5) जिस अधिकारी ने उप-नियम (2) के नीचे दी गई सारणी की मद (i) या मद (ii) के अधीन रियायत के आधार पर निवास स्थान अपने पास रखा है, वह किसी पात्र कार्यालय में, उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पुनर्नियोजित होने पर इस बात का हकदार होगा कि उस

निवास स्थान को अपने पास रखे रहे तथा वह इन नियमों के अधीन निवास-स्थान के किसी और आबंटन का भी पात्र होगा :

परन्तु यदि पुनर्नियोजन होने पर अधिकारी की उपलब्धियां इतनी हों जिनके आधार पर वह उस टाइप के निवास स्थान का हकदार न हो जो उसके अधिभोग में है तो उसे निम्नतर टाइप का निवास-स्थान आबंटित किया जाएगा ।

(6) उप-नियम (2) या उप नियम (3) या उप-नियम (5) में किसी बात के होते हुए भी जब कोई अधिकारी पदच्युत किया जाता है या सेवा से हटाया जाता है या जब उसकी सेवा पर्यवसित की जाती है तथा उस कार्यालय के जिसमें ऐसा अधिकारी ऐसी पदच्युति, हटाए जाने या पर्यवसान के ठीक पूर्व नियोजित विभाग अध्यक्ष का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक और समीचीन है तो वह रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसे अधिकारी को किए गए निवास स्थान का आबंटन या तो तुरन्त रद्द कर दे या उस तारीख से रद्द कर दे जो उप-नियम 2 के नीचे दी गई सारणी की मद (i) में निर्दिष्ट एक मास की अवधि की समाप्ति से पूर्वतर है और जो वह विनिर्दिष्ट करता है तथा रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक तदनुसार कार्रवाई करेगा ।

12. अनुज्ञप्ति फीस विषयक उपबन्ध—(1) जब आवास-सुविधा या अनुकल्पी आवास सुविधा का आबंटन स्वीकार कर लिया जाए तो अनुज्ञप्ति फीस का दायित्व अधिभोग की तारीख से अथवा आबंटन की प्राप्ति की तारीख के आठवें दिन से, जो भी पूर्वतर हो, प्रारम्भ होगा ।

जो अधिकारी आबंटन स्वीकार करने के पश्चात उस आवास-सुविधा का कब्जा आबंटन-पत्र की प्राप्ति की तारीख से आठ दिन के भीतर नहीं लेता उससे उस तारीख से बारह दिन की अवधि तक अनुज्ञप्ति फीस ली जाएगी, परन्तु इसमें की कोई बात उस दशा में लागू नहीं होगी जब केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग यह प्रमाणित करे कि आवास-सुविधा अधिभोग के योग्य नहीं है और उसके परिणाम स्वरूप अधिकारी पूर्वोक्त अवधि के भीतर आवास-सुविधा को अधिभोग में नहीं ले रहा है ।

(2) जहां एक निवास-स्थान के अधिभोगी किसी अधिकारी को दूसरा निवास-स्थान आबंटित किया जाता है और वह नए निवास-स्थान पर अधिभोग प्राप्त कर लेता है तो पहले निवास-स्थान का आबंटन नए निवास-स्थान का अधिभोग प्राप्त करने की तारीख से रद्द समझा जाएगा । तथापि, निवास-स्थान के परिवर्तन के लिए वह पहले निवास-स्थान को उस दिन तथा उसके बाद के एक दिन तक, बिना अनुज्ञप्ति फीस दिए, अपने पास रख सकता है ।

परन्तु यदि पहला निवास स्थान तथा पूर्वोक्त उसके बाद की तारीख तक खाली नहीं किया जाता है तो वह अधिकारी बाद वाले निवास स्थान का कब्जा जिस तारीख से लेता है उस तारीख से उस निवास स्थान, सेवाओं, फर्नीचर के उपयोग और उपभोग के लिए उतनी नुकसानी और बाजार प्रभार का देनदार होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए ।

13. निवास स्थान के खाली किए जाने तक अधिकारी का अनुज्ञप्ति फीस देने का वैयक्तिक दायित्व तथा अस्थायी अधिकारियों द्वारा प्रतिभू दिया जाना :— (1) जिस अधिकारी को निवास-स्थान का आबंटन किया जाए उस पर उसकी अनुज्ञप्ति फीस का तथा उस नुकसान का दायित्व होगा जो उचित टूट-फूट के अतिरिक्त हो और जो उस निवास-स्थान को अथवा सरकार द्वारा उसमें दिए गए फर्नीचर, फिक्चर, फिटिंग या सेवा-व्यवस्था को उस अवधि के दौरान पहुंचती है जब निवास-स्थान उसे आबंटित कर दिया जाता है और उसे आबंटित रहता है या जहां आबंटन इन नियमों के किसी उपबंध के अधीन रद्द कर दिया गया हो वहां, जब तक निवास-स्थान तथा उससे संलग्न उपगृह खाली करके उनका पूर्णतः खाली रूप में कब्जा सरकार को वापस नहीं कर दिया जाता ।

(2) जहां वह अधिकारी जिसे निवास-स्थान आबंटित किया गया है न तो स्थायी सरकारी सेवक है और न स्थायीत्व वहां वह एक प्रतिभू सहित रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा इस निमित्त विहित प्ररूप में, प्रतिभूति-पत्र निष्पादित करेगा । यह प्रतिभू केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवा करने वाला स्थायी सरकारी सेवक होना चाहिए । यह प्रतिभूति-पत्र अनुज्ञप्ति फीस तथा अन्य ऐसे प्रभारों के संदाय के लिए होगा जो उस निवास-स्थान और अन्य सेवाओं की बाबत तथा उसके बदले में दिए गए किसी अन्य निवास-स्थान की बाबत उसके द्वारा देय हों ।

(3) यदि प्रतिभू सरकारी सेवा में नहीं रह जाता या दिवालिया हो जाता है या किसी अन्य कारण से उपलब्ध नहीं रह जाता है तो अधिकारी किसी अन्य प्रतिभू द्वारा निष्पादित एक नया बन्धपत्र उस घटना या तथ्य की जानकारी प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर देगा, और यदि वह ऐसा न करे तो, जब तक रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय अन्यथा विनिश्चय न करें, उस निवास स्थान का उसे आबंटन उस घटना की तारीख से रद्द किया गया समझा जाएगा ।

14. आबंटन का अभ्यर्पण और सूचना की अवधि :— (1) अधिकारी ऐसी सूचना दे कर, जो निवास-स्थान को खाली करने की तारीख से कम से कम दस दिन पूर्व सम्पदा अधिकारी के पास पहुंच जाए, किसी भी समय आबंटन को अभ्यर्पित कर सकता है । निवास-स्थान का आबंटन उस दिन के पश्चात, जिसको पत्र संपदा अधिकारी को प्राप्त होता है, ग्यारह वें दिन से या पत्र में विनिर्दिष्ट तारीख से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, रद्द किया गया समझा जाएगा । यदि अधिकारी सम्यक् सूचना न दे तो वह दस दिन की, अथवा दस दिन की सूचना देने में जितने दिन की कमी हो उतने दिन की अनुज्ञप्ति फीस देने के लिए उत्तरदायी होगा, परन्तु संपदा अधिकारी कम अवधि की सूचना स्वीकार कर सकता है ।

(2) उपनियम (1) के अधीन निवास-स्थान अभ्यर्पित करने वाले अधिकारी के संबंध में, उसी स्टेशन पर सरकारी आवास-सुविधा का आबंटन करने के लिए, ऐसे अभ्यर्पण की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक पुनः विचार नहीं किया जाएगा।

15. निवास स्थान का परिवर्तन—(1) जिस अधिकारी को इन नियमों के अधीन निवास-स्थान का आबंटन किया गया है वह आवेदन कर सकता है कि उसको उसके बदले में उसी टाइप का अथवा उस टाइप का जिसका पात्र वह नियम 6 के अधीन है जो भी निम्नतर हो, निवास-स्थान दिया जाए। किसी अधिकारी को आबंटित एक टाइप के निवास-स्थान की बाबत केवल एक बार से अधिक परिवर्तन की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(2) कोई अधिकारी जो उसको पहले से आबंटित आवास सुविधा का परिवर्तन चाहता है, संपदा अधिकारी को आवेदन करेगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार करने के पश्चात् आवेदक का नाम प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रकार सम्मिलित की गई आवेदक की परस्पर ज्येष्ठता "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर अवधारित की जाएगी।

(3) परिवर्तन का अवसर उप नियम (2) के अनुसार अवधारित ज्येष्ठता के क्रम से तथा अधिकारियों को अपनी पसंद का यथा संभव ध्यान रखते हुए दिया जाएगा।

परन्तु अधिवर्षिता की तारीख के छः मास की अवधि के दौरान निवास स्थान में कोई परिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(4) यदि कोई अधिकारी निवास-स्थान के परिवर्तन की प्रस्थापना या आबंटन जारी किए जाने के पांच दिन के भीतर उसे स्वीकार नहीं करता तो उसके नाम पर उस टाइप के निवास-स्थान के परिवर्तन के लिए पुनः विचार नहीं किया जाएगा।

(5) जो अधिकारी, निवास-स्थान का परिवर्तन स्वीकार करने के पश्चात् उसका कब्जा नहीं लेता उससे ऐसे निवास-स्थान के लिए नियम 13 के उपनियम (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस ली जाएगी, जो उस निवास-स्थान के लिए, जो पहले ही उसके कब्जे में है, और जिसका आबंटन बराबर बना रहेगा, मू०नि. 45 के अधीन प्रसामान्य अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त होगी।

16. कुटुम्ब के सदस्य की मृत्यु की दशा में निवास-स्थान का परिवर्तन-नियम 15 में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी अधिकारी के कुटुम्ब के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है और वह निवास स्थान के परिवर्तन के लिए आवेदन ऐसी घटना के तीन मास के भीतर करता है तो उसे निवास-स्थान के परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकती है। परन्तु यह परिवर्तन उसी टाइप का निवास-स्थान में तथा उसी मंजिल पर होगा जिस टाइप का निवास स्थान उस अधिकारी को पहले से आबंटित है।

17. निवास स्थानों का पारस्परिक विनिमय—जिन अधिकारियों को इन नियमों के अधीन एक ही टाइप के निवास-स्थान आबंटित किए गए हैं, वे आवेदन कर सकते हैं कि उन्हें अपने निवास-स्थानों का पारस्परिक विनिमय करने की अनुज्ञा दी जाए। जब इस बात की उचित तौर पर प्रत्याशा हो कि दोनों अधिकारी ऐसे विनियम के अनुमोदन की तारीख से कम से कम छः मास तक उसी स्थान में कर्तव्यारूढ़ रहेंगे और पारस्परिक रूप से विनिमय में प्राप्त अपने निवास-स्थानों में रहेंगे तब पारस्परिक विनिमय की अनुज्ञा दी जा सकती है।

18. उन स्थानों के लिए स्थानांतरण जहां कुटुम्ब नहीं रखा जा सकता यदि किसी अधिकारी का स्थानान्तरण किसी ऐसे स्थान को किया जाता है जहां उसे अपना कुटुम्ब साथ ले जाने के लिए सरकार द्वारा अनुज्ञा नहीं दी जाती या सलाह नहीं दी जाती और इन नियमों के अधीन उसे आबंटित निवास-स्थान उसकी संतान की वास्तविक शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं के लिए कुटुम्ब द्वारा अपेक्षित है तो उसे, प्रार्थना करने पर, स्टेशन में अपनी संतान के चालू शैक्षणिक सत्र के अंत तक मू०नि० 45-क के अधीन अनुज्ञप्ति फीस के संदाय पर निवास-स्थान रखने के लिए अनुज्ञा दी जा सकती है।

19. निवास-स्थान का रख-रखाव—जिस अधिकारी को निवास-स्थान का आबंटन किया गया है वह उसे और परिसरों को केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा यथास्थिति, नगर पालिका समिति या नगर निगम के समाधानप्रद रूप से साफ दशा में रखेगा। ऐसा अधिकारी उस निवास-स्थान से संलग्न किसी बाग, सहन या चारदिवारी में न तो सरकार या केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के विरुद्ध कोई वृक्ष, झाड़ी या पौधे उगाएगा और न ही किसी विद्यमान वृक्ष या झाड़ी को केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना काटेगा या छांटेगा। इस नियम के उल्लंघन में उगाए गए वृक्ष पौधे या वनस्पति संबंधित अधिकारी की जोखिम पर और उसके खर्च पर उद्यानकृषि निदेशालय द्वारा हटाए जा सकेंगे।

20. निवास स्थान को शिकमी देना और सहप्रयोग—(1) कोई अधिकारी अपने को आबंटित निवास-स्थान या उससे संलग्न उपगृहों, गैरेजों और अस्तबलों का सहप्रयोग इन नियमों के अधीन निवास स्थान के आबंटन के पात्र केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के साथ ही करेगा। सेवक निवासों (या क्वार्टरों) उपगृहों गैरेजों और अस्तबलों का प्रयोग केवल उचित प्रयोजनों के लिए, जिनके अंतर्गत आबंटिती के सेवकों का निवास भी है, या अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जिनकी रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक अनुज्ञा दे।

परन्तु यह कि अधिकारी रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को पूर्व सूचना ऐसे प्ररूप में भेजेगा जो क्वार्टरों में रहने वाले अधिकारी और उसके कुटुम्ब की पूर्ण विशिष्टियों

और सहयोगी तथा उसके कुटुम्ब की पूर्ण विशिष्टियां सूचित करने के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक द्वारा विहित की जाए ।

(2) कोई अधिकारी अपने सम्पूर्ण निवास स्थान की शिकमी नहीं देगा :

परन्तु छुट्टी पर जाने वाला अधिकारी अपने निवास-स्थान में किसी अन्य अधिकारी को जो सरकारी आवास सुविधा का सहभोग करने के लिए पात्र है, देख-भाल करने वाले के रूप में, नियम 11 के उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट अवधि पर्यन्त किन्तु छ मास से अधिक नहीं, रख सकता है ।

(3) जो अधिकारी अपने निवास-स्थान का सहभोग करे या उसे शिकमी दे वह ऐसा अपनी जोखिम और उत्तरदायित्व पर करेगा और उस निवास-स्थान की बाबत देय कोई अनुज्ञप्ति फीस देने के लिए और ऐसे किसी नुकसान के लिए वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी बना रहेगा जो निवास-स्थान को या उसकी प्रसीमाओं या भूमियों को या सरकार द्वारा उसमें की गई सेवा व्यवस्थाओं को पहुंचे और जो उचित टूट-फूट के अतिरिक्त हो ।

21. नियमों और शर्तों को भंग करने का परिणाम—(1) यदि वह अधिकारी जिसे निवास-स्थान आबंटित किया गया है, अप्राधिकृत रूप से निवास-स्थान शिकमी देता है या सहभोगी से अनुज्ञप्ति फीस ऐसी दर से लेता है जिसे संपदा अधिकारी अत्यधिक समझता है अथवा निवास-स्थान या उसके किसी भाग का उपयोग उन प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए करता है जिनके लिए वह है अथवा विद्युत या जल के कनैक्शन को बिगाड़ता है अथवा इस प्रभाग के नियमों या आबंटन के निबन्धनों और शर्तों को भंग करता है अथवा किन्हीं ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिन्हें संपदा अधिकारी अनुचित समझे, निवास-स्थान या परिसर का उपयोग करता है या किए जाने की अनुज्ञा देकर नुकसान पहुंचाता है अथवा स्वयं ऐसा आचरण करता है जो संपदा अधिकारी की राय में उस अधिकारी के पड़ोसियों से शान्तिपूर्ण संबंधों को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, अथवा आबंटन प्राप्त करने की दृष्टि से किसी आवेदन या लिखित कथन में कोई गलत जानकारी जानबूझ कर देता है, तो संपदा अधिकारी, उस आनुशासनिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उस अधिकारी के विरुद्ध की जा सकती है, निवास-स्थान का आबंटन रद्द कर सकता है ।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "अधिकारी" पद के अन्तर्गत उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य और ऐसे अधिकारी के माध्यम से दावा करने वाला कोई व्यक्ति भी है ।

(2) यदि कोई अधिकारी उसे आबंटित निवास-स्थान को या उसके किसी भाग को या उससे संलग्न किसी उपगृह, गैरेज या अस्तबल को इन नियमों का उल्लंघन करके शिकमी देता है जो, ऐसी किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उसके विरुद्ध की जा सकती हो, उससे उतनी वर्धित अनुज्ञप्ति फीस ली जा सकती है जो मूल नियम 15-क के अधीन मानक अनुज्ञप्ति फीस के चार गुना से अधिक न हो । प्रत्येक मामले में इस बात का विनिश्चय कि कितनी अनुज्ञप्ति फीस उसूल की जाए संपदा अधिकारी गुणागण के आधार पर करेगा । इसके अतिरिक्त उस अधिकारी को भविष्य में ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि पर्यन्त, जो संपदा अधिकारी द्वारा विनिश्चित की जाए निवास-स्थान का सहभोग करने से विवर्जित किया जा सकता है ।

(3) जहां आबंटिती द्वारा परिसर के अप्राधिकृत रूप से शिकमी दिए जाने के कारण आबंटन को रद्द करने की कार्रवाई की जाती है वहां आबंटिती तथा उसके साथ उसमें निवास करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को परिसर को खाली करने के लिए साठ दिन का समय दिया जायेगा । परिसर खाली किये जाने की तारीख या आबंटन रद्द करने के आदेश की तारीख से, जो भी पूर्वतर हो, साठ की अवधि समाप्त होने पर, आबंटन रद्द हो जायेगा ।

(4) यहां निवास-स्थान का आबंटन ऐसे आचरण के कारण रद्द किया जाए जो पड़ोसियों से शांतिपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो वहां, उस अधिकारी को संपदा अधिकारी के विवेकानुसार उसी वर्ग का अन्य निवास-स्थान किसी अन्य स्थान में आबंटित किया जा सकता है ।

(5) संपदा अधिकारी इस नियम के उप नियम (1) से (4) तक के अधीन सभी कार्यवाहियां या कोई कार्रवाई करने के लिए, तथा ऐसे अधिकारी को, जो इन नियमों का तथा उसको जारी किये गये आदेशों को भंग करता है, पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए आवास-सुविधा के आबंटन के लिए अपात्र घोषित करने के लिए भी, सक्षम होगा ।

(6) जहां इस नियम के अधीन शास्ति रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक की पंक्ति के नीचे के किसी अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाती है, वहां, व्यथित व्यक्ति अपने या अपने नियोजक द्वारा शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेशों की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक को अभ्यावेदन कर सकेगा ।

(7) इस नियम के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला मूल आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक वह अभ्यावेदन के परिणामस्वरूप उपान्तरित या विखंडित न हो जाए ।

22. आबंटन के रद्द किए जाने के पश्चात् निवास स्थान में बने रहना :—

जहां कोई आबंटन इन नियमों के किसी उपबन्ध के अधीन रद्द किया जाता है या रद्द कर दिया गया समझा जाता है और तत्पश्चात् वह निवास-स्थान उस अधिकारी के, जिसे वह आबंटित किया गया हो या उसके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति के अधिभोग में बना रहता है या बना

रहा हो वहां ऐसा अधिकारी उस निवास-स्थान, सेवाओं, फर्नीचर के उपयोग और उपभोग के लिए उतनी नुकसानी और बाग प्रभार का देनदार होगा जो सरकारी द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए या उस अनुज्ञप्ति फीस से दुगनी जो वह दे रहा था जो भी अधिक हो।

परन्तु किसी ऐसे अधिकारी को जो मूल नियमों के नियम 45–क के अधीन अनुज्ञप्ति फीस दे रहा था, मृत्यु की दशा के सिवाय, विशेष दशाओं में मूल नियमों के नियम 45–क के अधीन मानक अनुज्ञप्ति फीस से दोगुना या मूल नियमों के नियम 45–क के अधीन मूल की गई मानक अनुज्ञप्ति फीस से दोगुना जो भी अधिक हो किन्तु उस अधिकारी द्वारा अंतिम ली गई उपलब्धियों (मूल नियमों के नियम 45–ग के अधीन यथा परिभाषित की तीस) प्रतिशत से अनधिक, देने पर, नियम 11 के उप नियम (2) के अधीन अनुज्ञात कालावधि से परे छह मास से अनधिक की कालावधि के लिए निवास स्थान रखने के लिये संपदा अधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जा सकेगा। ऐसे अधिकारी की दशा में, जो मूल नियमों के नियम 45–क के अधीन अनुज्ञप्ति फीस नहीं दे रहा था, मूल नियमों के नियम 45–क के अधीन मानक अनुज्ञप्ति फीस से दो गुना या मूल नियमों के नियम 45–क के अधीन की गई मानक अनुज्ञप्ति फीस से दो गुना या उस अनुज्ञप्ति फीस से दो गुना जो वह दे रहा था, जो भी अधिक हो, देने पर उसी अवधि के लिए निवास स्थान को रखने के लिए वह अनुज्ञ किया जा सकेगा।

परन्तु यह और कि सेवा निवृत्ति या सेवान्त की दशा में पूर्वोक्त परन्तुक में यथा उपदर्शित अनुज्ञप्ति फीस के देने पर तत्पश्चात् कब्जा बनाए रखने की अवधि चार मास से अधिक नहीं होगी।

23. इन नियमों के जारी किए जाने के पहले किये गये आबंटनों का बना रहना :—

निवास-स्थान के किसी ऐसे विधिमान्य आबंटन के बारे में जो इन नियमों के प्रारंभ के ठीक पूर्व अस्तित्व में हो यह समझा जायेगा कि वह इन नियमों के अधीन सम्यक् रूप से किया गया आबंटन है भले ही वह अधिकारी जिसे वह आबंटन किया गया हो नियम 6 के अधीन उस टाइप के निवास-स्थान का हकदार न हो और उस आबंटन और उस अधिकारी के संबंध में इन नियमों के सभी पूर्वगामी उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे।

24. नियमों का शिथलीकरण—रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जाएंगे इन नियमों के सभी उपबन्धों को या उनमें से किसी को किसी अधिकारी या निवास-स्थान के मामले में या अधिकारियों के किसी वर्ग या निवास-स्थानों के किसी टाइप के बारे में एकीकृत वित्त शाखा के परामर्श से शिथिल कर सकेगा।

25. शक्तियों या कृत्यों का प्रत्यायोजन—रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक एकीकृत वित्त प्रभाग के परामर्श से इन नियमों द्वारा उसे प्रदत्त कोई शक्ति या सभी शक्तियां अपने नियंत्रणाधीन किसी अधिकारी को ऐसी शर्तों के अधीन प्रत्यायोजित कर सकेगा जिन्हें प्रत्यायोजित करना वह ठीक समझे।

[फा. सं. डी-11014/17/93-डी.ए. II]
कृष्णा शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

(Directorate General of Employment and Training)

New Delhi, the 20th October, 1997

G.S.R. 375.—In pursuance of the provisions of Rule 45 of the fundamental rules, the Central Government hereby makes the following rules for allotment of Government residences to officers employed in various offices functioning under the administrative control of the Directorate General of Employment and Training, Ministry of Labour, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Allotment of Government residences (Directorate General of Employment and Training Pool) Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply for the existing accommodation and accommodation to be constructed in future in the various offices under the administrative control of Director General of Employment and Training.

3. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Allotment" means the grant of licence to occupy a residence in accordance with the provisions of these rules;

(b) "Allotment year" means the year beginning on 1st January and ending on 31st December of a year or such other period as may be notified by the Central Government;

(c) "Eligible Office" means a Central Government Office under the administrative control of Directorate General of Employment and Training, the staff of which has been declared as eligible for accommodation under these rules;

(d) "Emoluments" means the pay, other than special pay or pay granted inview of his personal qualifications, which has been sanctioned for a post held by him substantively or in an officiating capacity, or to which he is entitled by reason of his position in a cadre;

Explanation.—For the purpose of this clause, in the case of an officer who is under suspension, the emoluments drawn by him on the first day of the allotment year in which he is placed under suspension or if he is placed under suspension on the first day of the allotment gear, the emoluments drawn by him immediately before that date, shall be taken as emoluments.

(e) "Estate officer" means the officer designated as Estate Officer under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupation) Act, 1971 (4 of 1971) having jurisdiction over the premises allotted under these rules;

(f) "family" means the wife or husband, as the case may be, and children, step children, legally adopted children, parents brothers or sisters as originally resides with and are dependent on officer;

(g) "Priority date" of an officer in relation to the type of residence to which he is eligible under the provisions of rule 6 means the earliest date from which he has been continuously drawing emoluments relevant to a particular type or a higher type in a

post under the Central Government or State Government or on foreign service, except for period of leave in respect of type V(A) to type VIII accommodation, and the date from which he has been continuously in service under the Central Government or State Government including the period of foreign service in respect of Type I to Type IV accommodation.

Provided that where the priority date of two or more officers is the same, seniority among them shall be determined by the emoluments. The Officer in receipt of higher emoluments taking precedence over the officer in receipt of lower emoluments; where the emoluments are equal by the length of service; and where both the emoluments and length of service are equal, on the basis of scale of pay of the officer, the officer working in post having higher scale of pay taking precedence over the officer in receipt of lower scale of pay.

(h) "licence fee" means the sum of money payable monthly in accordance with the provisions of the Fundamental Rules in respect of a residence allotted under these rules;

(i) "residence" means any residence for the time being under the administrative control of the Estate Officer concerned;

(j) "sub-letting" includes sharing of accommodation by an allottee with another person with or without payment of licence fee by such other person;

Explanation :—Any sharing of accommodation by an allottee with any close relation shall not be deemed to be sub-letting.

(k) "temporary transfer" means a transfer which involves an absence for a period; not exceeding four months;

(l) "transfer" means a transfer from one place to any other place or from an eligible office to an ineligible office and includes a transfer or reversion to service under a State Government or Union Territory Administration and also deputation to a post in an eneligible office or organization;

(m) "type" in relation to an officer means the type of residence to which he is eligible under Rule 6.

4. Allotment to house owning officers.—(1) An Officer owning a house either in his own name or in the name of any member of his family at the place of his duty or in an adjoinnig municipality shall be eligible for allotment of Government residence on payment of licence fee for the Government accommodation allotted to him at such rate as may be determined from time to time by the Government.

(2) When after a Government residence has been allotted to an officer, he or any member of his family becomes the owner of a house at the place of his duty or in an adjoining municipality, such officer shall notify the fact to the Estate Officer within a period of one month from the date the house is let out or occupied, or the date of completion whichever is earlier.

(3) In this rule,—

(a) "adjoining municipality" means any municipality contiguous to a local municipality;

(b) "house" in relation to an officer or member of his family means a building or a part thereof used for residential purposes and situated within the jurisdiction of the local municipality or of any adjoining municipality.

Explanation.—A building, part of which is used for residential purposes shall be deemed to be a house for the purpose of this clause notwithstanding that any part of it is used for non-residential purposes

(c) "Local municipality" in relation to an officer means the municipality within whose jurisdiction his office is located;

(d) "Member of family" in relation to an officer means the wife or husband, as the case may be or a dependent child of the officer;

(e) "Municipality" includes a municipal corporation, a municipal committee or board, a town area committee, a notified area committee and a cantonment board.

5. Allotment to husband and wife, eligibility in case of officers who are married to each other.—(1) No officer shall be allotted a residence under these rules if the wife or the husband, as the case may be, of the officer has already been allotted a residence at the same station under these rule, or under any other rule related to allotment of residential accommodation under Central or State Governments unless such residence is surrendered.

Provided that this sub-rule shall not apply where the husband and wife are residing separately in pursuance of an order of judicial separation made by any court.

(2) Where two officers in occupation of separate residence in the same station allotted under these rules or under any other rule for allotment of residential accommodation of Central or State Governments marry each other, they shall, within one month of marriage, surrender one of the residences.

(3) If a residence is not surrendered, as required by sub-rule (2), the allotment of the residence of the lower type shall be deemed to have been cancelled on the expiry of such period and if the residences are of the same type, the allotment of such one of them, as the Estate Officer may decide, shall be deemed to have been cancelled on the expiry of such period.

(4) Where both husband and wife are employed under the Central Government, the title of each of them to allotment of residence under these rules shall be considered independently

(5) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) to (4)(a) if a wife or husband, as the case may be, who is allottee of residence under these rules, is subsequently allotted a residential accommodation at the same station from a pool to which these rules do not apply, she or he, as the case may be, shall surrender any of the residences within one month of such allotment :

Provided that this clause shall not apply where the husband and wife are residing separately in pursuance of an order of judicial separation made by any court.

(b) where two officers, in occupation of separate residences at the same station, one allotted under these rules and another from pool to which these rules do not apply, marry each other, any of them shall surrender any one of the residences within one month of such marriage.

(c) if a residence is not surrendered as required under clause (a) or clause (b), the allotment of the residence shall be deemed to have been cancelled on the expiry of such period.

6. Classification of Residences. Save as otherwis eprovided by these rules, an officer will be eligible for allotment of residence of the type shown in the Table below :—

Type of Residence	Category of officer on his monthly emoluments as on such date as may be specified by the Central Government for the purpose of the allotment year concerned
I.	Less than Rs. 950.
II.	Less than Rs. 1,500 but not less than Rs. 950.
III.	Less than Rs. 2,800 but not less than Rs. 1,500.
IV.	Less than Rs. 3,600 but not less than Rs. 2,800.
V(A).	Less than Rs. 4,500 but not less than Rs. 3,600.
V(B).	Less than Rs. 5,900 but not less than Rs. 4,500.
VI(A).	Less than Rs. 6,700 but not less than Rs. 5,900.
VI(B).	Rs. 6,700 and above.

Provided that where type V and VI accommodation has not been classified as type V(A) and type V(B) and type VI(A) and type VI(B), all the officers eligible for type V will be grouped together and those eligible for type VI also be grouped together.

7. Application for allotment.—(1) Every Government officer in occupation of Government accommodation shall submit his application, in such form and manner and by such date, as may be specified by the Estate Officer in this behalf.

(2) In the case of officers not in occupation of Government accommodation, the Estate Officer shall invite application in such form and manner and before such date as may be specified by him.

(3) An officer joining duty in any office on first appointment or on transfer may submit his application to the Estate Officer concerned in such station within a month of his joining duty.

(4) Application received under sub-rule (3) on or before the 20th day of a calendar month shall alone be considered for allotment in the succeeding month.

8. Allotment of residences and offers (1) Save as otherwise provided in these rules, a residence, falling vacant, will be allotted by the Estate Officer preferable to an applicant desiring a change of accommodation in that type, under the provisions of rule 15 and if not required for that purpose, to an applicant without accommodation in that type having the earliest priority date for that type of residence subject to the following conditions namely :—

(i) The Estate Officer shall not allot a residence of a type higher than that to what the applicant is eligible under rule 6.

(ii) The Estate Officer shall not compel any applicant to accept a residence of lower type than to what he is eligible under rule 6.

(iii) The Estate Officer on request, from an applicant for allotment of a lower category residence, might allot to him a residence next below the type for which the applicant is eligible under rule 6 on the basis of his priority date for the same.

(2) The Estate Officer may cancel the existing allotment of an officer and allot to him an alternative residence of the same type or in emergent circumstances an alternative residence of the type next below the type of residence in occupation of the officer if the residence in occupation of the officer is required to be vacated.

(3) A vacant residence may, in addition to allotment to an officer under sub-rule (1) above, be offered simultaneously to other eligible officers in order of their priority dates.

9. Maintenance of separate pools for certain categories of officers.—(1) Notwithstanding any thing contained in these rules the following pools shall be maintained, namely :—

(i) Lady Officers pools separately for married lady officers and for single lady officers.

(ii) Essential Staff pool for the officers and staff be of the following categories, namely :—

(a) Director/Head of each Institute/Office,

(b) Medical Officer,

(c) Hostel Warden/Hostel Superintendent,

(d) Driver only one of each office/Institute,

(e) Maintenance electrician.

(iii) 'Transfer' pool separately for the officer employees" whose services are transferable.

Explanation.—For the purpose of clause (i),—

(a) "married lady officer" means a lady officer whose marriage is subsisting and who is not judiciously separated from her husband;

(b) "single lady officer" means a lady officer who is not married lady officer.

(2) The number and types of residences to be placed in these pools shall be determined by the Directorate General of Employment and Training from time to time.

(3) The Officers shall be entitled to allotment of accommodation in the pool specified in sub-rule (1) in the type next below the type to which they are entitled under the provisions of rule 6 excepting officer under sub clause (a) of Clause (ii), of sub rule (1) of essential staff and ladies officers from Lady's Pool with exception to employee entitled to type I and Type II accommodations.

(4) The inter seniority of the officers eligible for the allotment of residences under this rule shall be determined in the following manner, namely :—

(a) In the lady Officers Pools, on the basis of priority date on which each such officer become eligible for the type of residence in that pool;

(b) In the essential staff Pool on the basis of date from which each such officer began to draw emoluments pertaining to the type to which he is to be considered for allotment.

10. Non-acceptance of allotment or offer or failure to occupy the allotted residence after acceptance.—(1) If any officer fails to accept the allotment of the residence within five days or fails to take possession of that residence after acceptance within eight days from the date of receipt of letter of allotment he shall not be eligible for another allotment for a period of one year from the date of allotment letter.

(2) If an officer occupying a lower type of residence is allotted or offered a residence of the type for which he is eligible under rule 6 or for which he has applied under Clause (iii) of sub-rule (1) of rule 10, he may, on refusal of the said allotment or offer of allotment, be permitted to continue in the previously allotted residence on the following conditions, namely :—

(a) that such officer shall not be eligible for another allotment for the remaining period of allotment year in which he has declined the allotment or offer.

(b) While retaining the existing residence he shall be charged the same licence fee which he would have had to pay under Rule 45-A of the fundamental Rules in respect of the residence so alloted or offered or the licence fee payable in respect of the residence already in his occupation, whichever is higher.

11. Period for which allotment subsists and the concessional period for further extension—(i) An allotment shall be effective from the date on which it is accepted by the officer and shall continue in force until,—

(a) the expiry of the concessional period permissible under sub-clause (2) after the officer ceases to be on duty in an eligible office in the station;

(b) it is cancelled by the Estate Officer or is deemed to have been cancelled under any provision in these rules.

(c) it is surrendered by the officer, or

(d) the officer ceases to occupy the residence.

(2) A residence allotted to an officer may, subject to sub-rule (3) be retained on the happening of any of the events specified in column (1) of the Table below for the period specified in the corresponding entry in column (2) thereof, provided that the residence is required for the bona fide use of the officer or members of his family :—

TABLE

Events	Permissible period for retention of the residence.
(1)	(2)
(i) Resignation, dismissal or removal from service, termination of service or unauthorised absence without permission	1 month
(ii) Retirement of terminal leave	4 months
(iii) Death of the allottee	12 months
(iv) Transfer to another Station under D.G.E. and T	2 months
(v) Transfer to on ineligible office	2 months
(vi) On proceeding on foreign service in India	2 months
(vii) Temporary transfer in India or transfer to a place outside India.	4 months
(viii) Leave (other than leave preparatory to retirement refused leave, terminal leave, medical leave maternity leave or Study leave).	for the period of leave but not exceeding four months
(a) Maternity leave	for the period of maternity leave plus leave granted in continuation subject to maximum of five months.
(ix) Leave preparatory to retirement or refused leave granted under rule 86 of the Fundamental Rules or earned leave granted to Government servant who retired under clause (j) of rule 56 of the Fundamental Rules.	For the full period of leave on full average pay subject to a maximum of 180 days in the case of leave preparatory to retirement and four months in other cases, inclusive of the period permissible in the case of retirement.
(x) Study leave in or outside India.	(a) In case of Officer in occupation of accommodation below his entitlement, for the entire period of Study leave.
	(b) In case the officer is in occupation of his entitled type accommodation, for the period of study leave but not exceeding six months: Provided that where the study leave is extended beyond six months, he may be allotted alternative accommodation, one type below his entitlement, on the expiry of six months or from the date of commencement of the Study leave, if he so desired.
(xi) Deputation outside India	For the period of deputation but not exceeding six months.
(xii) Leave on medical grounds	Full period of leave
(xii) On proceeding on training.	For full period of Training.

Explanation I.—Where an officer on transfer or foreign service in India is sanctioned leave and avails of it before joining duty at the new office, he may be permitted to retain the residence for the period mentioned against items (iv), (v), (vi) or (vii) as the case may be or for the period of leave, whichever is more.

Explanation II.—Where an order of transfer or foreign service in India is issued to an officer while he is already on leave the period permissible under Explanation I shall be counted from the date of issue of such order.

(3) Where a residence is retained under sub-rule (2) the allotment shall be deemed to be cancelled on the expiry of the admissible concessional periods unless immediately on the expiry thereof the officer resumes duty in an eligible office.

(4) When an officer is on medical leave without pay and allowances, he may retain his residence by virtue of the concession under item (xii) of the Table below sub-rule (2), provided he remits the licence fee for such residence in cash every month and where he fails to remit such licence fee for more than two months, the allotment shall stand cancelled.

(5) An officer who has retained the residence by virtue of the concession under item (i) or item (ii) of the Table below sub-rule (2) shall, on re-employment in an eligible office, within the period specified in the said Table be entitled to retain that residence and he shall also be eligible for any further allotment or residence under these rules :

Provided that if the emoluments of the officer on such re-employment do not entitle him to the type of residence occupied by him, he shall be allotted a lower type of residence.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) or sub-rule (3) or sub-rule (5), when an officer is dismissed or removed from the service or when his services have been terminated and the Head of the Department in respect of the office in which such officer was employed immediately before such dismissal, removal or termination is satisfied that it is necessary or expedient in the public interest to do so, he may require the Director General of Employment and Training to cancel the allotment of the residence made to such officer either forthwith or with effect from such date prior to the expiry of the period of one month referred to in item (i) of the Table below sub-rule (2) as he may specify and the Director General of Employment and Training shall act accordingly.

12. Provisions relating to licence fee.—(1) Where an allotment of accommodation or alternative accommodation has been accepted, the liability for licence fee shall commence from the date of occupation or the eighth day from the date of receipt of the allotment, whichever is earlier. An officer who, after acceptance, fails to take possession of that accommodation within eight days from the date of receipt of the allotment letter, shall be charged licence fee from such date upto a period of twelve days, provided that nothing contained herein shall apply where the Central Public Works Departments certifies that the accommodation is not fit for occupation and as a result thereof the officer does not occupy the accommodation within the period aforesaid.

(2) Where an officer who is in occupation of a residence, is allotted another residence and he occupies the new residence, the allotment of the former residence shall be deemed to be cancelled from the date of occupation of the new residence. He may retain the former residence without payment of licence fee for the day on which the allotment is so cancelled and the subsequent day for shifting.

Provided that if the former residence is not vacated by the subsequent date as aforesaid, the officer will be liable to pay damages for the use and occupation of the residence, services, furniture and garden charges as may be determined by the Government from time to time, with effect from the date he takes possession of the latter residence.

13. Personal liability of the officer for payment of licence fee till the residence is vacated and the furnishing of surety by the temporary officer.—(1) The officer to whom a residence has been allotted shall be personally liable for the licence fee thereof and for any damage beyond fair wear and tear caused thereto or to the furniture, fixtures or fittings or services provided therein by Government during the period for which the residence has been and remains allotted to him, or where the allotment has been cancelled under any of the provisions in these rules, until the residence alongwith the outhoses appurtenant thereto have been vacated and full vacant possession thereof has been restored to Government.

(2) Where the officer to whom a residence has been allotted is neither a permanent nor a quasi-permanent Government servant he shall execute a security bond in the form prescribed in this behalf by the Directorate General of Employment and Training with a surety who shall be a permanent Government servant serving under the Central Government for due payment of licence fee and other charges due from him in respect of such residence and services and any other residence provided *in lieu*.

(3) If the surety ceases to be in Government service or becomes insolvent or ceases to be available for any other reasons, the officer shall furnish a fresh bond executed by another surety within thirty days from the date of his acquiring knowledge of such event or fact : and if he fails to do so, the allotment of the residence to him shall, unless otherwise decided by Director General of Employment and Training, be deemed to have been cancelled with effect from the date of the event.

14. Surrender of an allotmen and period of notice.—(1) An officer may at any time surrender an allotment by giving intimation so as to reach the Estate Officer at least ten days before the date of vacation of the residence. The allotment of the residence shall be deemed to be cancelled with effect from the eleventh day after the day on which the letter is received by the Estate Officer or the date specified in the letter, whichever is later. If he fails to give due notice he shall be responsible for payment of licence fee for ten days the number of days by which the notice given by him falls short of ten days, provided that the Estate Officer may accept a notice for a short period.

(2) An officer who surrenders the residence under sub-rule (1) shall not be considered again for allotment of accommodation at the same station for a period of one year from the date of such surrender.

15. Change of residence.—(1) An officer to whom residence has been allotted under these rules may apply for a change to another residence of the same type or a residence of the type to which he is eligible under rule 6, whichever is lower. Not more than one change shall be allowed in respect of one type of residence allotted to the officer.

(2) An officer who intends to change the accommodation already allotted to him shall make application to the Estate Officer, after acceptance by the competent authority the name of the applicant shall be included in the wating list. The inter seniority of the applicant so included shall be determined "on first come first served basis".

(3) Change shall be offered in order of seniority determined in accordance with sub-rule (2) and having regard to the officer's preferences as far as possible :

Provided that no change of residence shall be allowed during a period of six months immediately preceding the date of superannuation.

(4) If an officer fails to accept a change of residence offered to him within five days of the issue of such offer or allotment ; he shall not be considered again for a change of residence of that type.

(5) An officer who, after accepting a change of residence fails to take possession of the same, shall be charged licence fee for such residence in accordance with the provisions of sub-rule (1) of rule 13 in addition to the normal licence fee under rule 45 of the Fundamental Rules for the residence already in his possession the allotment of which shall continue to subsist.

16. Change of residence in the event of death of a member of the family. Not withstanding anything contained in rule 15 an officer may be allowed a change of residence on the death of any member of his family if he applies for a change within three months of such occurrence, provided that the change will be given in the same type of residence and on the same floor as the residence already allotted to the officer.

17. Mutual exchange of residence. Officers to whom residences of the same type have been allotted under these rules may apply for permission to mutually exchange their residences, permission for mutual exchanges may be granted if both the officers are reasonably expected to be on duty the same floor as the residence already allotted to the officer, residences for at least six months from the date of approval of such exchange.

18. Transfer to non-family station.—If an officer is transferred to a station where he is not permitted or advised by Government to take his family with him and the residence allotted to him under these rules is required by the family for the bona fide educational needs of his children, he may be allowed, on request to retain the residence on payment of licence fee under rule 45A of the Fundamental Rules till the end of current academic session of his children in the station.

19. Maintenance of residence.—The officer to whom a residence has been allotted shall maintain the residence and premises in a clean condition to the satisfaction of the Central Public Works Department and the Municipal Committee or the Municipal Corporation, as the case may be. Such officer shall not grow any tree, shrubs or plants contrary to the instructions issued by the Government or Central Public Works Department nor cut or lop off any existing tree of shrubs in any garden, courtyard or compound attached to the residence save with the prior permission in writing of the Central Public Works Department. Trees, plantation

or vegetation, grown in contravention of this rule may be caused to be removed by the Directorate of Horticulture at the risk and cost of the officer concerned.

20. Sub-letting and sharing of residences. (1) No officer shall share the residence allotted to him or any of the outhouses, garages and stables appurtenant thereto execept with the employees of the Central Government eligible for allotment of residences under these rules. The servants' quarters, outhouses, garages and stables may be used only for the bano fide purpoes including residence of the servants of the allottee or for such other purposes as may be permitted by the Director General of Employment and Training.

Provided that the officer shall send prior intimation to the Director General of Employment and Training in such form as may be prescribed by the Director General intimating full particulars of the officer and his family residing in the quarters and full particulars of the sharer and his family.

(2) No officer shall sublet the whole of his residence :

Provided that an officer proceeding on leave may accommodate, in the residence any other officer eligible to share Government accommodation, as a caretaker, for the period specified in sub-rule (2) of rule 11, but not exceeding six months.

(3) Any officer who shares or sublets his residence shall do so at his own risk and responsibility and shall remain personally responsible for any licence fee payable in respect of the residence and for any damage caused to the residence or its precincts or grounds or services provided therein by Government beyond fair wear and tear.

21. Consequences of breach of rules and conditions.—(1) If an officer to whom a residence has been allotted, unauthoriscdly sublets the residence or charges licence fee from the sharer at a rate which the Estate Officer considers excessive or erects any unauthorised structure in any part of the residence or uses the residence or any portion thereof for any purpose other than that for which it is meant or tampers with the electric or water connection or commits any other breach of these rules of the terms and conditions of the allotment or uses the residence or premises or permits or offers the residence or premises to be used for any purpose which the Estate Officer considers to be improper or conducts himself in a manner which, in his opinion, is prejudicial to the maintenance of harmonious relations with his neighbors or has knowingly furnished incorrect information in any application or written statement with a view tosecuring the allotment, the Estate Officer may, without prejudice to any other disciplinary action that may be taken against him, cancel the allotment of the residence.

Explanation—In this sub-rule the expression 'Officer' includes, unless the context otherwise requires a member of his family and any person claiming through the officer. (2) If an officer sublets a residence allotted to him or any portion thereof or any of the outhouses, garages or stables appurtenant thereto, in contravention of these rules, he may, without prejudice to any other action that may be taken against him be charged enhanced licence fee not exceeding four times the standard licence fee under Rule 45A of the Fundamental Rules. The quantum of licence fee to be recovered in each case will be determined by the Estate Officer on merits. In addition the officer may be debarred from sharing the residence for a specified period in future as may be decided by Estate Officer.

(3) Where action to cancel the allotment is taken on account of unauthorised subletting of the premises by the allotee a period of sixty days shall be allowed to the allottee, and any other person residing with him therein to vacate the premises. The allotment shall be cancelled with effect from the date of vacation of the premises or expiry of the period of sixty days from the date of the order for the cancellation of the allotment, whichever is earlier.

(4) Where the allotment of a residence is cancelled for conduct prejudicial to the maintenance of harmonious relations with neighbours, the officer at the discretion of the Estate Officer may be allotted another residence in the same class at any other place.

(5) Estate Officer shall be competent to take all or any of the actions under sub-rules (1) to (4) of this rule and also to declare the officer, who commits a breach of these rules and the instructions issued to him to be ineligible for allotment of residential accommodation for a period not exceeding five years.

(6) Where any penalty under this rule is imposed by any officer below the rank of Director General of Employment and Training, the aggrieved person may within sixty days of the receipt of the orders by him or his employer imposing the penalty, file a representation to the Director General of Employment and Training.

(7) The original order imposing the penalty under this rule shall stand unless it is modified or rescinded as a result of the representation.

22. Over stay in residence after cancellation of allotment. Where, after an allotment has been cancelled or is deemed to be cancelled under any provision contained in these rules, the residence remains or has remained in occupation of the officer to whom it was allotted or of any persons claiming through him, such officer shall be liable to pay damages for use and occupation of the residence, service, furniture and garden charges as may be determined by Government from time to time, or twice the licence fee he was paying, whichever is higher :

Provided that an officer, who was paying licence fee under rule 45A of the Fundamental Rules may, in special cases, except in case of death, be allowed by the Estate Officer to retain a residence for a period not exceeding six months beyond the period permitted under sub-rule (2) of rule 11 on payment of twice the standard licence fee under rule 45A of the Fundamental Rules or twice the pooled standard licence fee under rule 45A of the Fundamental Rules whichever is higher but not exceeding thirty per cent of the emoluments (as defined under rule 45C of the Fundamental Rules) last drawn by the officer. In case of an officer who was not paying licence fee under rule 45A of the fundamental Rules, he may be allowed to retain a residence for the same period on payment of twice the standard licence fee under rule 45A of the Fundamental Rules or twice the pooled standard licence fee under rule 45A of the Fundamental Rules or twice the licence fee that he was paying whichever is higher.

Provided further that in the event of retirement or terminal leave, the period for further retention on payment of licence fee as indicated in the aforesaid proviso shall be not exceeding four months.

23. Continuance of allotments made prior to the issue of these rules. Any valid allotment of residence which is subsisting immediately before the commencement of these rules shall be deemed to be an allotment duly made under these rules notwithstanding that the officer to whom it has been made is not entitled to a residence of that type under rule 6 and all the preceding provisions of these rules shall apply in relation to that allotment and that officer accordingly.

24 Relaxation of rules—The Director General of Employment and Training may for reasons to be recorded in writing relax all or any of the provisions of the rules in the case of any officer or residence or class of officers or type of residence in consultation with Integrated Finance Branch.

25. Delegation of powers or functions. The Directorate General of Employment and Training in consultation with Integrated Finance Division may delegated any or all the powers conferred upon it by these rules to any officer under its control, subject to such conditions as it may deem fit to impose.

[F. No. D-11014/17/93-TA-II]

KRISHNA SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1997

सा०का०नि० 376.—कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 6अ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कर्मचारी

पेंशन योजना, 1995 में आगे संशोधन करते हुए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस योजना को कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 1997 कहा जाए ,

(2) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगी जब इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

2. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में, पैराग्राफ 17 के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"17. अ. पेंशन का भुगतान :—

अपेक्षित दस्तावेजों सहित सब तरह से पूर्ण प्रस्तुत किए गए दावों का निस्तारण और लाभानुभोगी को लाभ की राशि का भुगतान आयुक्त द्वारा उक्त दावे की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा । यदि दावे में कोई कमी रहती है, तो उसे लेखबद्ध किया जाएगा और ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर आवेदक को सूचित कर दिया जाएगा। यदि आयुक्त 30 दिनों के भीतर सब तरह से पूर्ण किसी दावे का पर्याप्त कारणों के बिना निस्तारण करने में असफल रहता है तो आयुक्त को उक्त अवधि से आगे की अवधि के लिए विलम्ब किए जाने के लिए जिम्मेदार बनाया जा सकेगा और 12% प्रतिवर्ष की दर से दण्डात्मक ब्याज, लाभ राशि पर प्रभावित किया जा सकता है और उसकी कटौती आयुक्त के वेतन से की जा सकती है ।

[फाइल संख्या एस-65012/1/97/एस एस-II]

जे.पी. शुक्ला, अवर सचिव

पाद टिप्पणी :—कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को सा०का०आ० सं० 748 के रूप में भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3 (i) में दिनांक 16-11-97 को प्रकाशित किया गया था और योजना में दिनांक 28 फरवरी, 1996 की अधिसूचना सं. 134 द्वारा बाद में संशोधन किया गया था ।

New Delhi, the 27th October, 1997

G.S.R. 376.—In exercise of the powers conferred by Section 6A read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees Pension Scheme, 1995 namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Pension (Amendment) Scheme, 1997;

(2) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

2. In the Employees' Pension Scheme, 1995 after paragraph 17 the following paragraph shall be inserted, namely :

"17A Payment of Pension.—The claims, complete in all respects submitted along with the requisite documents shall be settled and benefit amount paid to the beneficiaries within 30 days from the date of its receipt by the Commissioner. If there is any deficiency in the claim, the same shall be recorded in writing and communicated to the applicant within 30 days from the date of receipt of such application. In case the Commissioner fails without sufficient cause to settle a claim complete in all respects within 30 days, the Commissioner shall be liable for the delay beyond the said period and penal interest at the rate of 12 per cent per annum may be charged on the benefit amount and the same may be deducted from the salary of the Commissioner".

[File No. S-65012/1/97-SS.II]

J. P. SHUKLA, Under Secy.

FOOT NOTE.—The Employees' Pension Scheme, 1995 was published in the Gazette of India, Part-II, section 3(1), dated the 16th November, 1995 as GSR No. 748(E) and the Scheme was subsequently amended by the notification No. 134, dated 28th February, 1996.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayn Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1997